अध्याय II: बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय झारखण्ड की बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा करता है, बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है, जिसमें सतत बचत और अंतिम समय में निधि का अभ्यर्पण जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह वित्तीय योजना, नियंत्रण और अनुपालन में कमजोरियों को उजागर करता है, यथार्थवादी बजट, समय पर निधि का उपयोग और जेंडर एवं हरित बजट जैसी आधुनिक प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर देता है।

2.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, राज्य की उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाना है। व्यय के अनुमानों में व्यय के भारित और दत्तमत मदों[1] को अलग से दिखाते हैं और राजस्व खातों पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकारण आवश्यक है।

झारखण्ड बजट नियमावली के अनुसार, वित्त विभाग विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। प्राप्तियों और व्यय के विभागीय अनुमानों को विभागों के प्रमुखों की सलाह पर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और 'अनुदान की मांग' नामक विस्तृत अनुमान तैयार करता है। राज्य के बजट में मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:

- ✓ वार्षिक वित्तीय विवरण
- ✓ अनुदान की मांग
- ✓ एफआरबीएम विवरण
- ✓ मध्यम अवधि की वित्तीय योजना
- ✓ वित्तीय जोखिम विवरण
- ✓ अन्य

2.2 बजट अनुमान तथा अपेक्षित एवं वास्तविकता के बीच अंतर

कर प्रशासन / अन्य प्राप्तियों और लोक व्यय के कुशल प्रबंधन से संसाधनों के इष्टतम उपयोग, योजना कार्यान्वयन और निगरानी क्षमता को मजबूत करने और राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संतुलन बनाए रखता है। सतत बचत / अधिशेष अंतर्निहित बजटीय प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है।

---

[1] **भारित व्यय**: व्यय की कुछ श्रेणियाँ (यथा संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण की अदाएगी, आदि), राज्य की समेकित निधि पर प्रभार बनाती हैं और विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। **दत्तमत व्यय**: अन्य सभी व्यय विधानसभा द्वारा दत्तमत है।

राज्य विधानसभा से प्राप्त कुल विनियोग, वास्तविक व्यय और बचत का विवरण **तालिका 2.1** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.1: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत	2024-25 के दौरान अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I राजस्व	83,945.47	19,840.64	103,786.11	82,653.85	21,132.26	13,651.91	64.60
	II पूँजीगत	23,987.25	1,836.89	25,824.14	18,562.53	7,261.61	5,568.83	76.69
	III ऋण एवं अग्रिम	4,580.89	145.83	4,726.72	4,237.10	489.62	444.61	90.81
कुल		**1,12,513.61**	**21,823.36**	**1,34,336.97**	**1,05,453.48**	**28,883.49**	**19,665.35**	**68.09**
भारित	I राजस्व	7,886.07	198.48	8,084.55	6,695.73	1,388.82	186.62	13.44
	II पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	III लोकऋण-पुनर्भुगतान	8,500.32	17.00	8,517.32	7,679.63	837.69	4.19	0.50
कुल		**16,386.39**	**215.48**	**16,601.87**	**14,375.36**	**2,226.51**	**190.81**	**8.57**
आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल योग		**1,28,900.00**	**22,038.84**	**1,50,938.84**	**1,19,828.84**	**31,110.00**	**19,856.16**	**63.83**

स्रोत: विनियोग लेखे।

टिप्पणी: ऊपर दिखाया गया व्यय सकल आँकड़े हैं जिसमें राजस्व शीर्षों (₹ 2,784.47 करोड़) और पूँजीगत शीर्षों (₹ 152.56 करोड़) के तहत व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूली को ध्यान में नहीं रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 31,110 करोड़ (कुल बजट का 20.61 प्रतिशत) का कुल बचत, 54 दत्तमत अनुदानों और राजस्व अनुभाग के तहत चार विनियोगों में ₹ 22,827.70 करोड़ और पूँजीगत अनुभाग के तहत 39 अनुदानों और एक विनियोग में ₹ 8,588.92 करोड़ की बचत का परिणाम था। राजस्व अनुभाग के तहत एक अनुदान (15-पेंशन) में ₹ 306.62 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इसके अलावा, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 31,110.00 करोड़ की कुल बचत में से, ₹ 19,648.71 करोड़ की महत्वपूर्ण बचत, जो 10[2] अनुदानों के तहत बजट प्रावधानों के सात से 62 प्रतिशत के बीच हुई है, जिसके कारणों की विनियोग लेखे में उचित रूप से व्याख्या नहीं की गयी है। इसके अलावा, इन अनुदानों में सतत बचत हुई, जो 2020-21 से 2023-24 के दौरान ₹ 10,398.06 करोड़ से लेकर ₹ 19,881.49 करोड़ तक थी।

विभिन्न शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण बचत के साथ-साथ अन्य मामलों में आधिक्य, खराब बजटीय प्रबंधन और आवश्यकताओं के अवास्तविक मूल्यांकन को दर्शाता है।

2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियाँ **तालिका 2.2** में दी गई हैं।

[2] 1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), 13-ब्याज संदाय, 18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, 36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, 42-ग्रामीण विकास विभाग, 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग), 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग), 56-पंचायती राज विभाग और 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग।

तालिका 2.2: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट	86,370.00	91,277.00	1,01,101.00	1,16,418.00	1,28,900.00
अनुपूरक बजट	9,908.07	10,309.19	16,516.72	25,080.79	22,038.84
कुल बजट	96,278.07	1,01,586.19	1,17,617.72	1,41,498.79	1,50,938.84
पुनरीक्षित अनुमान	80,007.05	89,207.89	98,990.19	1,20,518.34	1,30,718.34
वास्तविक व्यय	74,458.59	79,070.38	92,983.52	1,08,754.44	1,19,828.84
बचत	21,819.48	22,515.81	24,634.20	32,744.35	31,110.00
मूल प्रावधान से अनुपूरक का प्रतिशत	11.47	11.29	16.34	21.54	17.10
कुल प्रावधान से कुल बचत का प्रतिशत	22.66	22.16	20.94	23.14	20.61
कुल बजट - पुनरीक्षित अनुमान	16,271.02	12,378.30	18,627.53	20,980.45	20,220.50
पुनरीक्षित अनुमान - वास्तविक व्यय	5,548.46	10,137.51	6,006.67	11,763.90	10,889.50
(कुल बजट - पुनरीक्षित अनुमान) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	16.90	12.19	15.84	14.83	13.40
(पुनरीक्षित अनुमान - वास्तविक व्यय) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	5.76	9.98	5.11	8.31	7.21

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण और विनियोग लेखे।

तालिका 2.2 दर्शाता है कि 2024-25 के दौरान अनुपूरक प्रावधान ₹ 22,038.84 करोड़ विगत वर्ष के 21.54 प्रतिशत के विरुद्ध मूल प्रावधान का 17.10 प्रतिशत था।

जैसा कि **तालिका 2.2** से देखा जा सकता है, राज्य की समग्र बचत बहुत अधिक थी और 2020-25 की अवधि के दौरान 20 से 23 प्रतिशत के बीच रही। इस अवधि के दौरान बड़ी बचत अवास्तविक बजट का संकेत था जहाँ योजनाएँ निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार इकाइयों द्वारा प्रदान की गई आवश्यकताओं के आधार पर अनुमान नहीं लगाए गए थे।

चार्ट 2.1 बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविकताओं को दर्शाने वाली प्रवृत्ति

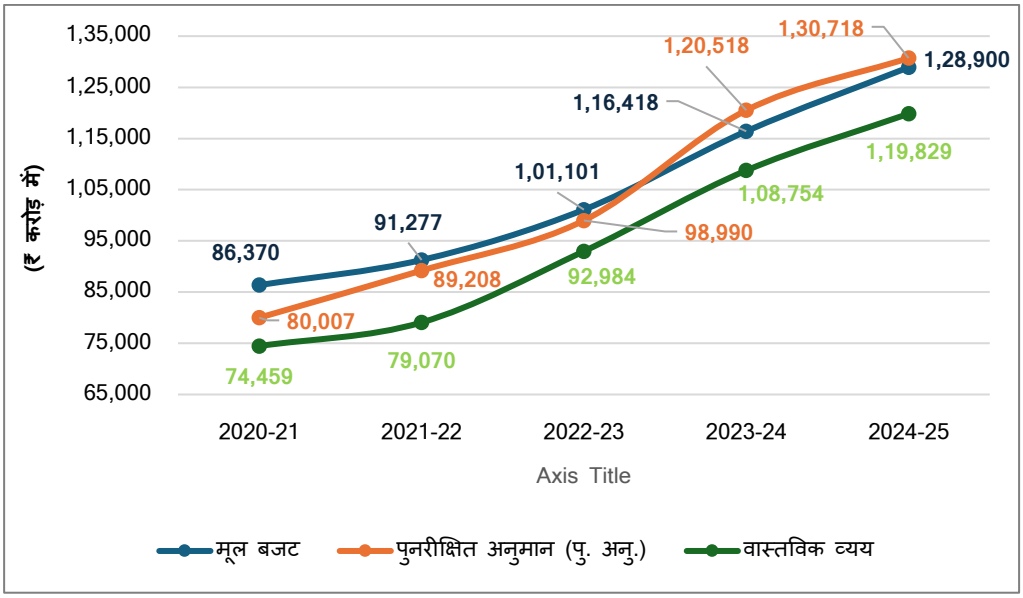

चार्ट 2.1 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य के मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच विचलन था। हालाँकि, 2021-22 के बाद से यह अंतर कम होने लगा।

2.2.1 बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक-वार विश्लेषण

2024-25 के बजट और व्यय का घटक-वार विश्लेषण **तालिका 2.3** में संक्षेपित किया गया है। विनियोग लेखे में भिन्नता के मामले में प्राप्त स्पष्टीकरणों का सारांश **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2024-25 के लिए घटक-वार बजट और व्यय

घटक	कुल बजट (₹ करोड़ में)	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	कुल बजट का प्रतिशत	कुल व्यय का प्रतिशत	कुल बजट के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3/2*100)
प्रतिबद्ध व्यय	35,322.56	32,311.37	23.40	26.96	91.48
राज्य योजनाएँ	66,289.81	55,239.20	43.92	46.10	83.33
के. प्रा. यो. के लिए केंद्रीय हिस्सा	15,443.62	7,796.82	10.23	6.51	50.49
के. प्रा. यो. के लिए राज्य का हिस्सा	11,526.63	7,347.21	7.64	6.13	63.74

जैसा कि **तालिका 2.3** से देखा जा सकता है**,** केंद्र प्रायोजित योजनाओं (के.प्रा.यो.) पर व्यय और के.प्रा.यो. में राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः ₹ 15,443.62 करोड़ और ₹ 11,526.63 करोड़ बजट आवंटन का केवल 50 प्रतिशत और 64 प्रतिशत था।

चार्ट 2.2: विनियोग लेखे में भिन्नता के स्पष्टीकरण का सारांश

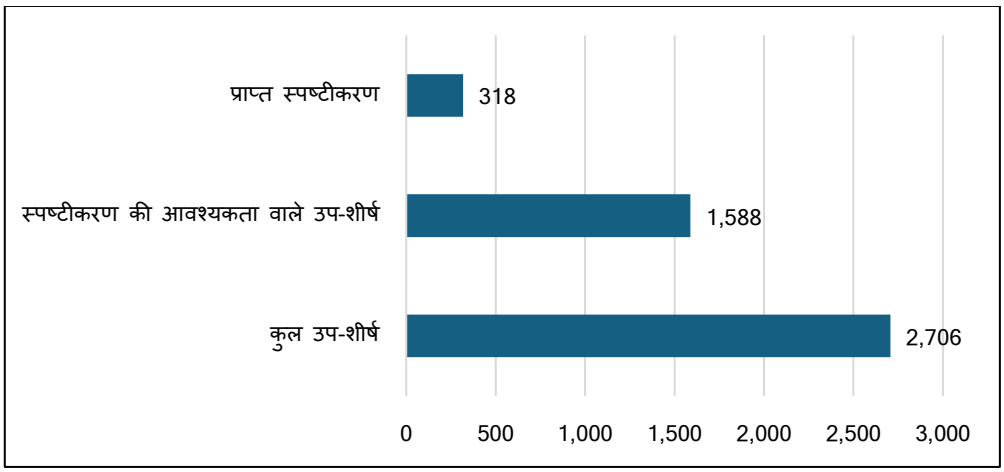

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड का कार्यालय

जैसा कि **चार्ट 2.2** से देखा जा सकता है, 1,588 उप-शीर्षों (योजनाओं) में बजट और व्यय के बीच भिन्नता दस प्रतिशत से अधिक थी, जिसके लिए विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, यह देखा गया कि 1,270 उप-शीर्षों में, विभागों द्वारा भिन्नता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

2.2.2 अनुदान संख्या 20 तथा 51 के अंतर्गत बजट और व्यय की संक्षिप्त स्थिति

2024-25 के दौरान, अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं बीसी कल्याण प्रभाग) को बजटीय प्रक्रिया विश्लेषण के लिए चुना गया था। अनुदान संख्या 20 और 51 के अंतर्गत बजट और व्यय की संक्षेपित स्थिति नीचे दी गई है:

(अ) राज्य सरकार ने अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत 2024-25 के दौरान ₹ 7,731.83 करोड़ का बजट प्रदान किया। कुल बजट प्रावधान में से, विभाग द्वारा ₹ 5,237.47 करोड़ (68 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जिससे ₹ 2,494.36 करोड़ (32 प्रतिशत) की बचत हुई। इसके अलावा, ₹ 2,494.36 करोड़ की कुल बचत में से, ₹ 2,080.32 करोड़ की राशि को अभ्यर्पित कर दिया गया और शेष ₹ 414.04 करोड़ को वर्ष 2024-25 के दौरान व्यपगत होने दिया गया। बजट प्रावधानों और उनके उपयोग का विवरण **तालिका 2.4** में दिखाया गया है।

तालिका 2.4: अनुदान संख्या 20 के तहत 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	दत्तमत पूँजीगत	दत्तमत राजस्व	कुल
मूल अनुदान	919.88	6,303.12	7,223.00
अनुपूरक अनुदान	69.31	439.52	508.83
कुल अनुदान	**989.19**	**6,742.64**	**7,731.83**
व्यय	439.70	4,797.77	5,237.47
बचत	549.49	1,944.87	2,494.36
अभ्यर्पण	502.36	1,577.96	2,080.32
व्यपगत	47.13	366.91	414.04

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

जैसा कि **तालिका 2.4** से देखा जा सकता है, अनुदान संख्या 20 में ₹ 2,494.36 करोड़ (राजस्व: ₹ 1,944.87 करोड़ और पूँजीगत: ₹ 549.49 करोड़) की बचत थी, जो रूप प्रमुख से मुख्य शीर्षों '2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य और '4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय' के तहत थी। इसलिए, ₹ 508.83 करोड़ (राजस्व: ₹ 439.52 करोड़ और पूँजीगत: ₹ 69.31 करोड़) का अनुपूरक अनुदान पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुआ और जहाँ आवश्यक था, इसे सांकेतिक राशि तक सीमित किया जा सकता था।

(**ब**) राज्य सरकार ने अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 2024-25 के दौरान ₹ 3,721.65 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया। बजट प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 2,576.27 करोड़ (69.22 प्रतिशत) व्यय की गई, जिसके परिणामस्वरूप कुल 1,145.38 करोड़ (30.78 प्रतिशत) की बचत हुई। इसके अलावा, ₹ 1,145.38 करोड़ की कुल बचत में से, ₹ 913.85 करोड़ की राशि को अभ्यर्पित कर दिया गया और शेष

₹ 231.53 करोड़ को व्यपगत होने दिया गया। बजट प्रावधान और इसके उपयोग का विवरण **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत	राजस्व	कुल
मूल अनुदान	523.62	2,648.11	3,171.73
अनुपूरक अनुदान	0.00	549.92	549.92
कुल अनुदान	**523.62**	**3,198.03**	**3,721.65**
व्यय	351.88	2,224.39	2,576.27
बचत	171.74	973.64	1,145.38
अभ्यर्पण	117.94	795.91	913.85
व्यपगत	53.80	177.73	231.53

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

₹ 1,145.38 करोड़ (राजस्व: ₹ 973.64 करोड़ और पूँजीगत: ₹ 171.74 करोड़) की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 549.92 करोड़ (राजस्व: ₹ 549.92 करोड़) का अनुपूरक अनुदान पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुआ और जहाँ आवश्यक था, इसे सांकेतिक राशि तक सीमित किया जा सकता था। बचत मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन) (₹ 41.00 करोड़), ओबीसी के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹ 111.00 करोड़), ओबीसी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹ 237.00 करोड़), एसटी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹ 153.00 करोड़), विशेष केंद्रीय सहायता के लिए अनुदान (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता) (₹ 100.00 करोड़) के तहत थी।

2.3 बजट मार्कमैनशिप

व्यय अवयव परिणाम

व्यय अवयव परिणाम यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनर्आवंटन ने किस हद तक व्यय अवयव में भिन्नता में योगदान दिया है।

अनुदान, आधिक्य और बचत का वर्ष-वार विश्लेषण राज्य द्वारा बजट निष्पादन एवं वित्तीय प्रबंधन की दक्षता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: वर्ष-वार अनुदान, आधिक्य और बचत

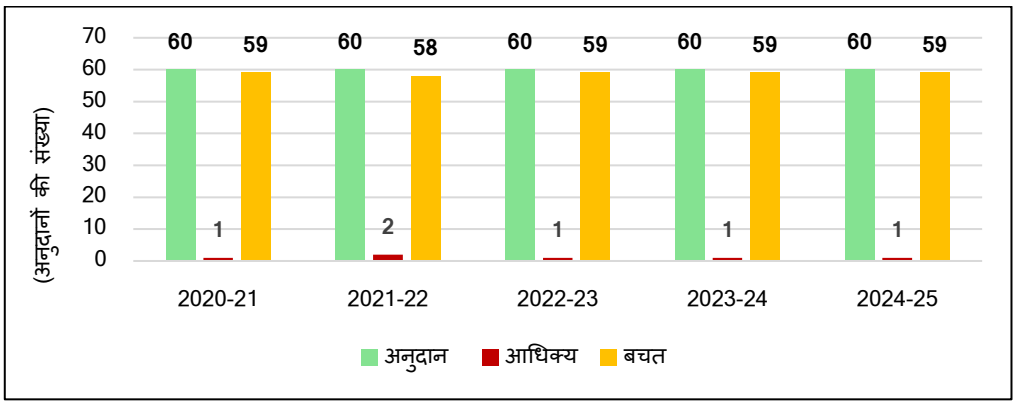

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यय अवयव का परिणाम **तालिका 2.6** में दिया गया है।

तालिका 2.6: व्यय अवयव समग्र विचलन-वित्तीय वर्ष 2024-25

अनुभाग	समग्र विचलन (प्रतिशत)	विचलन की सीमा (प्रतिशत)	अनुदानों की संख्या
राजस्व (दत्तमत)	9.03	0 से ± 25	25
	34.95	± 25 से ± 50	21
	61.98	± 50 से ± 100	8
	103.32	≥ 100	1
पूँजीगत (दत्तमत)	11.58	0 से ± 25	14
	32.87	± 25 से ± 50	9
	61.40	± 50 से ± 100	16
राजस्व (भारित)	8.67	0 से ± 25	4
	31.46	± 25 से ± 50	2
	-	± 50 से ± 100	0
पूँजीगत (भारित)	9.84	0 से ± 25	1
	-	± 25 से ± 50	0
	-	± 50 से ± 100	0
हालाँकि, पूँजीगत अनुभाग के 20 अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।			

राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 8.67 प्रतिशत और 103.32 प्रतिशत के बीच था। ऐसा 29 अनुदानों में 0 और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 23 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत से अधिक विचलन के कारण हुआ। 2024-25 के दौरान, विगत वर्ष के 28 अनुदानों की तुलना में 31 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन था।

पूँजीगत अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 9.84 प्रतिशत और 61.40 प्रतिशत के बीच था। ऐसा 15 अनुदानों में 0 और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच और 16 अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण हुआ। 2024-25 के दौरान, पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत विगत वर्ष के 19 अनुदानों की तुलना में 25 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन था।

अधिक अनुदानों में व्यय के परिणाम में बड़ा विचलन कार्य के निष्पादन के लिए जिम्मेदार क्षेत्र इकाइयों से यथार्थवादी अनुमान प्राप्त किए बिना बजट की तैयारी का संकेत था।

2.4 विनियोग लेखे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत किए गए अनुदानों और भारित विनियोगों की राशि की तुलना में विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और

पुनर्विनियोजन के सापेक्ष वास्तविक व्यय को सकल आधार पर अलग-अलग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करता है कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुरूप है तथा संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किए जाने वाले आवश्यक व्यय को इस प्रकार भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय विधिसंगत, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

2.5 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया

2.5.1 विधि के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य की समेकित निधि से कोई भी राशि की निकासी नहीं होगी। झारखण्ड बजट नियमावली के नियम 114 में प्रावधान है कि अनुपूरक अनुदान द्वारा अतिरिक्त निधि को छोड़कर निधि के प्रावधान के बिना नई योजना पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, यह देखा गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान मूल बजट अनुमानों/अनुपूरक मांगों में कोई प्रावधान किए बिना और इस संबंध में कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए बिना अनुदान संख्या 14-ऋणों के पुनर्भुगतान में एक उप-शीर्ष के तहत ₹ 246.52 करोड़ (**तालिका 2.7**) का व्यय किया गया था।

तालिका 2.7: बजट प्रावधान या पुनर्विनियोजन के बिना व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम / विवरण	खाते का शीर्ष	किया गया व्यय	बिना प्रावधान के व्यय
1	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	6004-09-101-02	246.52	(+) 246.52
कुल				**246.52**	**(+) 246.52**

आगे लेखे के विश्लेषण से पता चला कि '6004-09-101-02-ब्लॉक ऋण 01.04.2017 से प्राप्त' के स्थान पर '6004-09-101-01-ब्लॉक ऋण 1989-90 से प्राप्त' शीर्ष के तहत बजट प्रावधान त्रुटिपूर्ण ढंग से किया गया जिसके कारण **तालिका 2.7** के अनुसार आधिक्य हुआ।

2.5.2 आधिक्य व्यय एवं इसका विनियमन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि राज्य विधानसभा द्वारा अनुदानों / विनियोगों से आधिक्य व्यय को विनियमित किया जाए। यद्यपि अनुच्छेद के तहत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथापि लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूरी होने के बाद आधिक्य व्यय का विनियमन किया जाता है।

अ. चालू वर्ष के दौरान आधिक्य व्यय

वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा एक विनियोग के तहत किए गए प्राधिकार पर ₹ 306.62 करोड़ का आधिक्य संवितरण हुआ जैसा कि **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: 2024-25 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं	अनुदान विवरण	विनियमित करने के लिए आवश्यक आधिक्य राशि
15	पेंशन	306.62
कुल		**306.62**

स्रोत: विनियोग लेखे

ब. विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का विनियमन

राज्य विधानसभा द्वारा विनियमन के लिए विगत वर्षों से संबंधित आधिक्य संवितरण **तालिका 2.9** में दिखाया गया है।

तालिका 2.9: विनियमन की आवश्यकता वाले विगत वर्षों से संबंधित आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान / विनियोग की संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	नियमित करने के लिए आवश्यक आधिक्य राशि
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
	32	विधानसभा	0.04
2002-03	32	विधानसभा	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	$
2010-11	32	विधानसभा	0.10
2011-12	14	ऋण की वापसी/अदायगी	219.56
	15	पेंशन	200.60
	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
	14	ऋण की वापसी/अदायगी	556.01
	15	पेंशन	703.44
	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज संदाय	139.42
	14	ऋण की वापसी/अदायगी	181.58
	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज संदाय	191.68
	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋण की वापसी/अदायगी	10.42
	32	विधानसभा	0.33
2017-18	13	ब्याज संदाय	193.69
	15	पेंशन	71.81
2019-20	13	ब्याज संदाय	120.64
	15	पेंशन	192.68
2020-21	13	ब्याज संदाय	144.95

वर्ष	अनुदान / विनियोग की संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	नियमित करने के लिए आवश्यक आधिक्य राशि
2021-22	13	ब्याज संदाय	98.89
	15	पेंशन	189.97
2022-23	14	ऋण की वापसी/अदायगी	15.92
2023-24	15	पेंशन	268.02
कुल			**4,046.43**

स्रोत: संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे
**आधिक्य राशि केवल ₹ 8,807 थी*
@ आधिक्य राशि केवल ₹ 1,072 थी
$ आधिक्य राशि केवल ₹ 81,665 थी
^ आधिक्य राशि केवल ₹ 11,160 थी

राज्य की संचित निधि से व्यय पर विधायी निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, इन आधिक्य व्यय (₹ 4,046.43 करोड़) को जल्द से जल्द विनियमित करने की आवश्यकता है और इस तरह के आधिक्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

लोक लेखा समिति (लो. ले. स.) की सिफारिशों पर राज्य विधानसभा द्वारा 2010-11 तक ₹ 8,120.12 करोड़ की राशि के प्रावधानों पर आधिक्य व्यय को विनियमित किया गया था (13 जनवरी 2014)। इसके बाद, लो. ले. स. द्वारा सिफारिशों की कमी के कारण प्रावधानों पर आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया है।

2.5.2.1 कुछ अनुदानों में सतत आधिक्य व्यय

लेखापरीक्षा से पता चला कि विगत पाँच वर्षों के दौरान मुख्य रूप से विनियोग 13 एवं 14 और अनुदान 15 के तहत आधिक्य व्यय किया गया था जैसा कि **तालिका 2.9** में दिखाया गया है।

2021-22 (₹ 189.97 करोड़), 2023-24 (₹ 268.02 करोड़) और 2024-25 (₹ 306.62 करोड़) के दौरान अनुदान संख्या 15, मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में आधिक्य व्यय हुआ।

इसी तरह, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 144.95 करोड़ और ₹ 98.89 करोड़ का आधिक्य '2049-ब्याज अदायगी के तहत हुई, मुख्य रूप से ब्लॉक ऋणों, अन्य गैर-योजना मदों के लिए ऋण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए हुई।

2.5.3 अनावश्यक एवं आधिक्य अनुपूरक अनुदान

झारखण्ड बजट नियमावली (ब. नि.) के नियम 117 में कहा गया है कि व्यय की नई विशिष्ट मदों को पूरा करने या दत्तमत अनुदान में संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ब. नि. के नियम 57 के नीचे टिप्पणियों के अनुसार, अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय की जा सकने वाली राशि से अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

46 मामलों (**परिशिष्ट 2.1)** मे यह देखा गया कि, वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 5,407.00 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए जाने के बावजूद व्यय मूल प्रावधानों तक नहीं पँहुचा। इसी प्रकार, 16 मामलों में ₹ 16,122.96 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ दो करोड़ से अधिक) आधिक्य साबित हुए (**परिशिष्ट 2.2**) क्योंकि अनुपूरक प्रावधानों की सम्पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार (25 नवंबर 2025) ने कहा कि बजट आकलन, निगरानी तथा नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

अनुदानों की विस्तृत समीक्षा का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(अ) अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, विभाग ने 16 योजनाओं के तहत ₹ 1,610.33 करोड़ के कुल प्रावधान में से केवल ₹ 1,258.12 करोड़ का उपयोग किया था, जिससे ₹ 352.21 करोड़ की बचत हुई। मूल प्रावधानों के उपयोग नहीं होने के बावजूद, बजट नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनुपूरक बजट के माध्यम से इन योजनाओं को ₹ 144.77 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई। विवरण **तालिका 2.10** में दिया गया है।

तालिका 2.10: परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	मूल	व्यय	बचत	अनुपूरक
1	2210-01-001-A4	56.74	45.23	11.51	2.24
2	2210-01-110-71	35.00	32.25	2.75	15.00
3	2210-01-110-A3	274.03	272.03	2.00	43.10
4	2210-01-796-85	8.00	5.33	2.67	0.35
5	2210-03-101-02	91.02	72.01	19.01	9.34
6	2210-03-103-21	475.47	371.81	103.66	2.96
7	2210-03-110-04	69.60	44.52	25.08	0.03
8	2210-04-103-01	0.63	0.52	0.11	0.04
9	2210-05-105-04	0.50	0.48	0.02	0.06
10	2210-05-105-39	113.52	94.89	18.63	1.30
11	2210-06-101-13	2.94	2.05	0.89	0.13
12	2210-06-102-01	3.07	2.95	0.12	0.30
13	2211-00-103-01	6.36	6.05	0.31	0.07
14	2251-00-090-07	5.95	5.85	0.10	0.54
15	4210-01-110-26	2.50	1.33	1.17	0.09
16	4210-01-110-45	465.00	300.82	164.18	69.22
कुल		**1,610.33**	**1,258.12**	**352.21**	**144.77**

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

(ब) इसके अलावा, अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभाग ने आठ योजनाओं में ₹ 231.61 करोड़ के मूल प्रावधान में से केवल

₹ 197.00 करोड़ का उपयोग किया था, जिससे ₹ 34.61 करोड़ की बचत हुई। मूल प्रावधानों के उपयोग नहीं होने के बावजूद, अनुपूरक बजट के माध्यम से इन योजनाओं को ₹ 21.83 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई थी। विवरण **तालिका 2.11** में दिया गया है।

तालिका 2.11: परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना	मूल	मूल प्रावधान से व्यय	अनुपूरक प्रावधान
1	2225-01-01-01-निर्देशन एवं प्रशासन	42.81	21.40	1.50
2	2225-01-789-13- साइकिल योजना	19.00	17.50	3.50
3	2225-02-277-26-झारखण्ड जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राँची	2.81	2.73	0.17
4	2225-02-277-69-पहरिया डे स्कूल	2.68	2.31	0.25
5	2225-02-282-01-आयुर्वेदिक ठक्कर कुष्ठ निवारण केंद्र	2.31	2.17	0.01
6	2225-02-796-13-साइकिल योजना	26.00	23.80	5.80
7	2225-03-277-10-साइकिल योजना	31.00	28.60	5.60
8	2225-03-796-89-प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 8)	105.00	98.49	5.00
कुल		**231.61**	**197.00**	**21.83**

स्रोत: 2024-25 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

यह इंगित करता है कि वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अनुपूरक बजट का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए थे।

2.5.4 निधियों का अनुचित पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में निधि का हस्तांतरण है, जहाँ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। 2024-25 के दौरान, 28 अनुदानों के अंतर्गत ₹ 867.14 करोड़ का पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए थे।

पाँच योजनाओं में, **(परिशिष्ट 2.3)** प्रावधान का संवर्धन अनावश्यक/आधिक्य साबित हुआ क्योंकि व्यय या तो मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान के स्तर तक नहीं आया या पुनर्विनियोजन राशि का केवल आंशिक रूप से उपयोग किया गया था।

2.5.5 अप्रयुक्त राशि तथा अभ्यर्पित की गई विनियोग और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण

बजट प्रस्तावों मे सभी संभावित व्यय को उचित व्यय स्तरों तक अनुकूलित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि व्यय की गुणवत्ता को संतुलित किया जा सके और बजटीय निधियों के कम उपयोग को कम किया जा सके। व्यय इकाइयों द्वारा समय पर अभ्यर्पण अनुमोदित बजट के अंदर इष्टतम पुनर्आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

अनुदानों और विनियोगों के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2024-25 के दौरान 25 मामलों में (22 अनुदानों के तहत), बचत (अभ्यर्पण को छोड़कर) प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक थी (**परिशिष्ट 2.4**)। यह भी देखा गया कि तीन अनुदानों में,

कुल अनुदान, जो कि ₹ 24.32 करोड़ है, के विरुद्ध वर्ष 2024-25 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया, जैसा कि **तालिका 2.12** में दिखाया गया है।

तालिका 2.12: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अप्रयुक्त सम्पूर्ण अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	राशि
1	35-योजना एवं विकास विभाग (पूँजीगत - दत्तमत)	0.19
2	45-सूचना प्रावैधिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग (पूँजीगत - दत्तमत)	19.13
3	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग) (पूँजीगत - दत्तमत)	5.00
कुल		**24.32**

स्रोत: विनियोग लेखे

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान 23 अनुदानों के तहत 28 मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की सतत बचत हुई (**परिशिष्ट 2.5**)।

2024-25 के दौरान कुल बचत के साथ उपयोग के प्रतिशत के अनुसार समूहीकृत अनुदान का विवरण **परिशिष्ट 2.6** और **चार्ट 2.4** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.4: कुल बचत के साथ बचत के प्रतिशत के अनुसार समूहीकृत अनुदानों/ विनियोगों की संख्या का वितरण

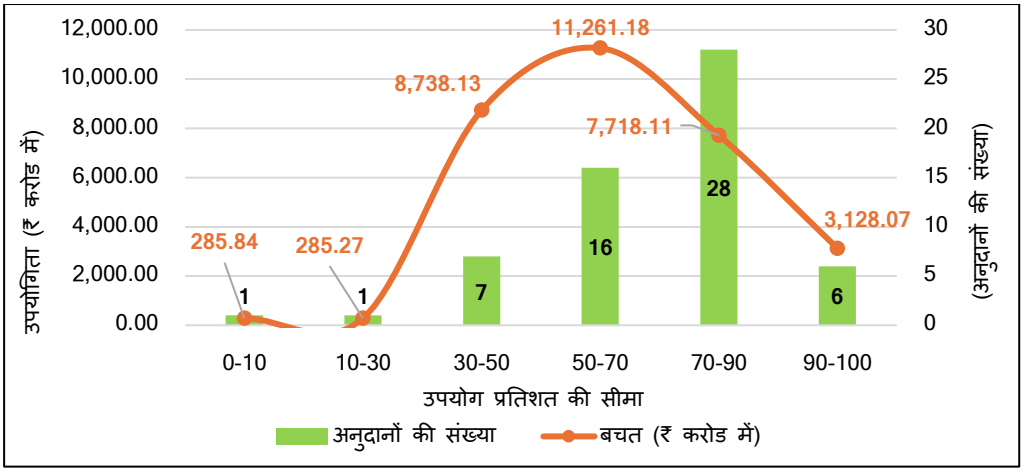

स्रोत: विनियोग लेखे

यह देखा गया कि 52 अनुदानों और चार विनियोगों (**परिशिष्ट 2.7**) के तहत ₹ 31,101.04 करोड़ की बचत में से ₹ 11,560.49 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किए गए थे। मार्च 2025 में अभ्यर्पित की गई बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक) का विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिया गया है।

इसके अलावा, कुल बचत की राशि, बचत का अभ्यर्पण और मार्च 2025 में किए गए अभ्यर्पण को **चार्ट 2.5** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2024-25 के लिए बचत और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

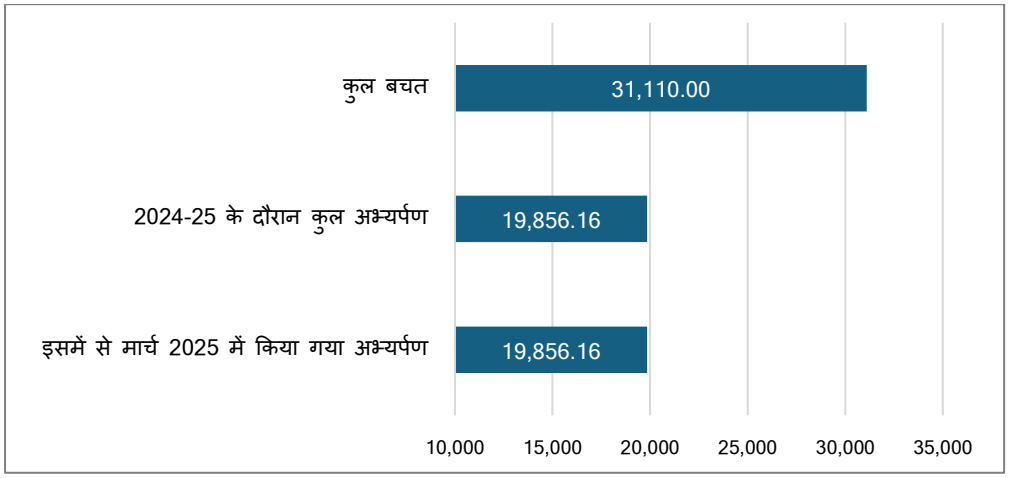

स्रोत: विनियोग लेखे

चार्ट 2.5 से देखा जा सकता है कि 2024-25 के दौरान केवल ₹ 19,856.16 करोड़ (63.83 प्रतिशत) की बचत को ही अभ्यर्पित की गई थी। मार्च 2025 में सम्पूर्ण राशि अभ्यर्पित कर दी गई थी।

राज्य सरकार ने (25 नवंबर 2025) कहा कि बजट आकलन, निगरानी और नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

2.5.6 राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

सरकारी लेखा नियम (स. ले. नि.) 1990 के नियम 30 के अनुसार, जिस व्यय से ठोस, भौतिक और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, उसे पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने पूँजीगत व्यय (पूँ. व्य.) के रूप में ₹ 18,409.97 करोड़ दर्ज किए थे। जाँच के दौरान यह पाया गया कि ₹ 18,409.97 करोड़ में से राजस्व प्रकृति के सहायता-अनुदान पर ₹ 2,879.71 करोड़ का व्यय पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। ₹ 2,879.71 करोड़ में से, ₹ 2,803.31 करोड़ परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, ₹ 22.68 करोड़ नकद राहत के लिए, ₹ 51.20 करोड़ सहायता-अनुदान (गैर-वेतन), ₹ 2.00 करोड़ छात्रवृत्ति और वजीफे के रूप में और ₹ 0.52 करोड़ मोटर वाहन ईंधन और मरम्मत पर दर्ज किए गए थे। सरकारी लेखा नियम 1990 के नियम 31 (2) (बी) के अनुसार, ऐसे व्यय से संबंधित सभी प्रभार राजस्व खाते में डाले जाने चाहिए। शेष राशि ₹ 2,803.31 करोड़ झारखण्ड सरकार के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हस्तांतरित की गई थी। स. ले. नि. 1990 के नियम 30(1) के नीचे दिए गए टिप्पणी के अनुसार, इस राशि को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना था।

इसी प्रकार, 'नई मोटर वाहन की खरीद' पर व्यय की गई राशि ₹ 42.45 करोड़ को पूँजीगत अनुभाग के बजाय राजस्व अनुभाग के तहत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।

₹ 2,837.26 करोड़ के गलत वर्गीकरण के शुद्ध प्रभाव के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को उस हद तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। परिणामस्वरूप, (लेखापरीक्षा के बाद) राज्य का राजस्व अधिशेष खातों में दिखाए गए ₹ 7,923.57 करोड़ के स्थान पर ₹ 5,086.31 करोड़ होगा। इसके अलावा, गलत वर्गीकरण के प्रभाव के कारण, पूँजीगत व्यय को भी उस हद तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के बाद राज्य का पूँजीगत व्यय खातों में दिखाए गए ₹ 18,409.97 करोड़ के स्थान पर ₹ 15,572.71 करोड़ होगा।

राज्य सरकार ने आश्वासन दिया (25 नवंबर 2025) की आगामी बजट चक्र में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

2.5.7 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्तपोषण

सरकार द्वारा शुरू की गई कई नीतिगत योजना दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों की मंजूरी नहीं मिलने, प्रशासनिक मंजूरी के अभाव में कार्यों के शुरू न होने, बजट जारी न होने आदि के कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाई। यह देखा गया कि सात योजनाओं के तहत, ₹ 23.26 करोड़ का संशोधित परिव्यय था, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

2.5.7.1 बाल बजट की समीक्षा

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1989 के आधार पर, झारखण्ड सरकार ने 2024-25 में बाल कल्याण बजट की घोषणा की।

2011 की जनगणना के अनुसार, झारखण्ड में 0-18 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या 1.46 करोड़ थी जो राज्य की कुल जनसंख्या का 44.25 प्रतिशत थी। इनमें से 75.66 लाख लड़के और 70.34 लाख लड़कियाँ थीं। जनवरी 2024 तक, बच्चों की आबादी बढ़कर 1.79 करोड़ हो जाने का अनुमान था, जो कुल जनसंख्या का 41.61 प्रतिशत है। इसमें से 86 लाख लड़कियाँ और 92 लाख लड़के होने का अनुमान है।

बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित, बाल बजट को 2024-25 के वार्षिक बजट में पेश किया गया था, जिसमे कुछ विभागों के तहत बाल विशिष्ट योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए बजटीय प्रावधान शामिल थे।

इन योजनाओं और कार्यक्रमों को **तालिका 2.13** में दिए गए अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था।

तालिका 2.13: बाल कल्याण योजनाओं के लिए किए गए बजटीय प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	बजट अनुमान	व्यय
1	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	3,143.88	1,018.84
2	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1,818.86	1,466.86
3	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	1,993.07	1,044.19
4	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,881.50	1,243.74
5	नगर विकास एवं आवास विभाग	29.38	29.38
कुल		**8,866.69**	**4,803.01**

चूंकि, विशिष्ट लेखा शीर्षों को बाल बजट दस्तावेजों में नहीं दिखाया गया था और बाल बजट तथा सामान्य बजट में प्रदान की गई योजनाओं का नाम मेल नहीं खाता था। इसलिए, उप-शीर्षकों के नामकरण से पहचाने गए बच्चों से संबंधित योजनाओं पर व्यय का विश्लेषण किया गया।

2.5.8 व्यय का वेग

झारखण्ड बजट नियमावली के नियम 113 के साथ पठित सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 62 (3) में प्रावधान है कि व्यय का वेग, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है तथा इससे बचना चाहिए। राज्य में व्यय की वेग का विवरण **तालिका 2.14** में दिया गया है।

तालिका 2.14: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय का वेग

	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष में कुल व्यय का प्रतिशत
वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च 2025)	46,146.38	38.49
वर्ष का अंतिम महीना (मार्च 2025)	27,440.17	22.89

संपूर्ण वर्ष में व्यय की एक स्थिर गति बनाए रखना लोक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय का वेग न केवल बजट नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध था, बल्कि खराब योजनाबद्ध व्यय की संभावना को बढ़ाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल मासिक व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 2.6** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.6: व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण (माह-वार)

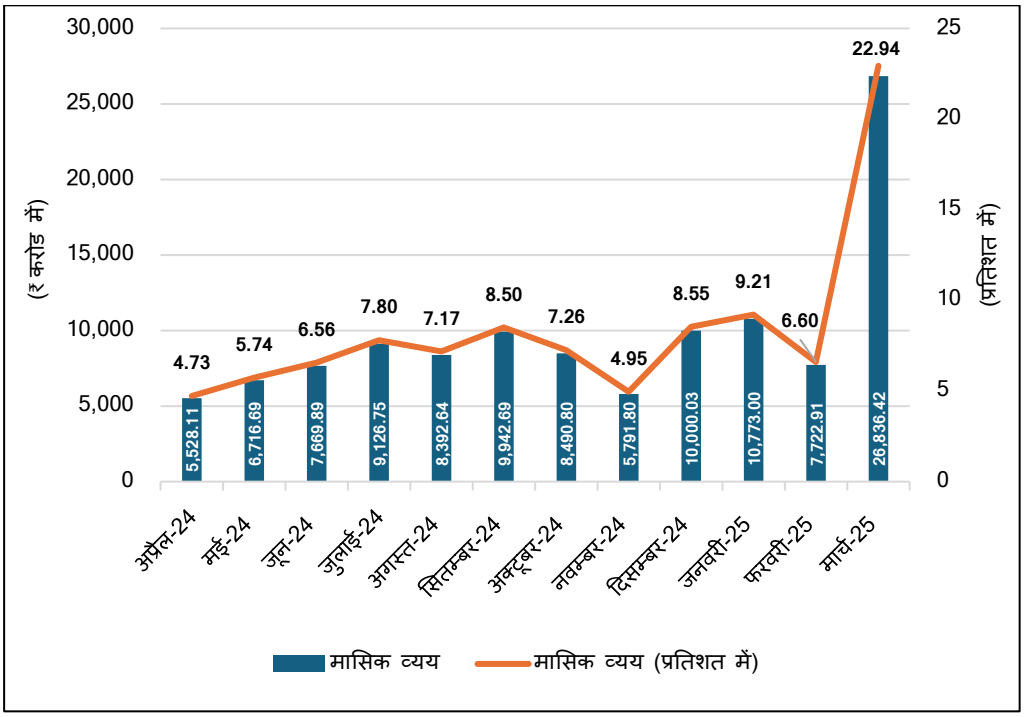

स्रोत: झारखण्ड के मासिक सिविल लेखे

चार्ट में दर्शाया गया मासिक व्यय प्रवृत्ति वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च में, की ओर एक स्पष्ट झुकाव को दर्शाता है।

2.5.8.1 अनुदान संख्या 20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

यह देखा गया कि ₹ 5,237.38 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 2,082.55 करोड़ (40 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च 2025) के दौरान तथा ₹ 989.29 करोड़ (19 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2025 में किया गया था।

आगे जाँच से पता चला कि 144 उप-शीर्षों में से 55 में, अंतिम तिमाही के दौरान व्यय (₹ 1,679.48 करोड़) 42 से 100 प्रतिशत के बीच था। 144 उप-शीर्षों में से 28 में, मार्च में व्यय (₹ 662.02 करोड़**)** कुल व्यय के 32 से 100 प्रतिशत के बीच था।

नमूना-जाँच इकाइयों में**,** यह देखा गया कि विगत तिमाही **(परिशिष्ट 2.10**) के दौरान विभिन्न शीर्षों के तहत व्यय 36 से 100 प्रतिशत और मार्च में 25 से 100 प्रतिशत के बीच था (**परिशिष्ट 2.11**)।

चयनित इकाइयों द्वारा संधारित एकल नोडल खातों (एसएनए) से व्यय की नमूना-जाँच से यह भी पता चला कि व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (33 प्रतिशत से 64 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से 58 प्रतिशत के बीच) क्रमश: अंतिम तिमाही और वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान किया गया था। विवरण **तालिका 2.15** में दिया गया है।

तालिका 2.15: व्यय का वेग (एसएनए)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालयों का नाम	कुल व्यय	विगत तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय
1	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), झारखण्ड (राज्य)	1,614.25	683.76 (*42%*)	376.67 (*23%*)
2	एनएचएम (मुख्यालय)	213.19	135.79 (*64%*)	124.41 (*58%*)
3	सिविल सर्जन सह सीएमओ, धनबाद	70.91	30.91 (*44%*)	15.43 (*22%*)
4	सिविल सर्जन सह सीएमओ, खूँटी	37.23	12.33 (*33%*)	9.48 (*25%*)
5	सिविल सर्जन सह सीएमओ, जमशेदपुर	75.89	28.35 (*37%*)	1.52 (*20%*)
6	सदर अस्पताल, जमशेदपुर	1.57	0.78 (*49%*)	0.57 (*36%*)
7	सिविल सर्जन सह सीएमओ, सरायकेला-खरसावां	50.97	19.67 (*39%*)	11.67 (*23%*)
8	सिविल सर्जन सह सीएमओ, बोकारो	72.06	31.86 (*44%*)	15.54 (*21%*)
9	सदर अस्पताल, बोकारो	5.12	1.92 (*38%*)	1.65 (*32%*)
10	सदर अस्पताल, राँची	2.72	0.97 (*36%*)	0.59 (*22%*)
कुल		**2,143.91**	**943.49 *(44%)***	**560.38 *(26%)***

स्रोत: जिला लेखा प्रबंधकों (जि. ले. प्र.), सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया आँकड़ा।

2.5.8.2 अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)

वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹ 2,576.27 करोड़ के कुल व्यय में से, मार्च 2025 में ₹ 455.01 करोड़ (18 प्रतिशत) व्यय किया गया था तथा वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹ 875.05 करोड़ (34 प्रतिशत) व्यय किया गया था जैसा कि **तालिका 2.16** में दिखाया गया है।

तालिका 2.16: अनुदान 51 में व्यय का वेग

	राशि (₹ करोड़ में)	कुल व्यय का प्रतिशत
वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च 2025)	874.25	33.93
वर्ष का अंतिम महीना (मार्च 2025)	455.01	17.66

चार्ट 2.7: 2024-25 के दौरान अनुदान संख्या 51 के तहत माह-वार व्यय

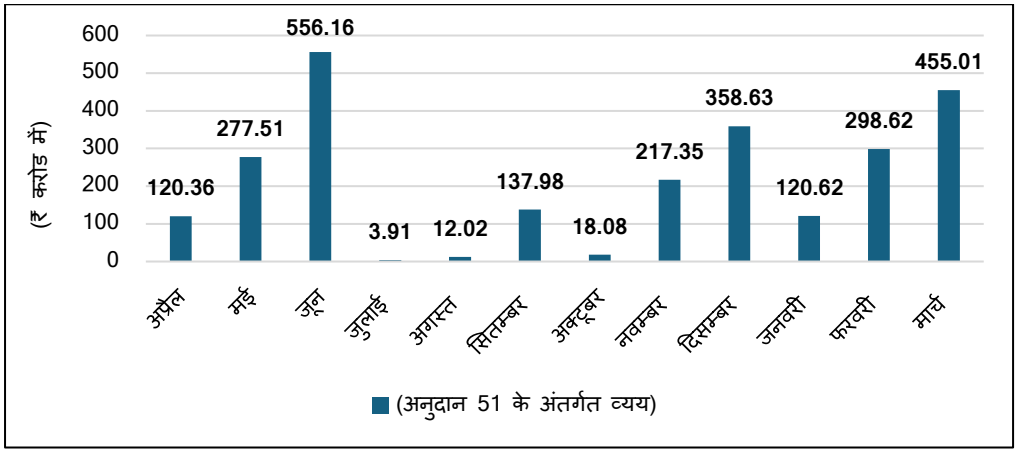

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड का डैशबोर्ड

नमूना-जाँच इकाइयों में, यह देखा गया कि मार्च में 100 उप-शीर्षों के तहत व्यय 25 से 100 प्रतिशत के बीच था, जो वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध था। जैसा कि **परिशिष्ट 2.12** में विस्तृत है।

2.6 राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (के. प्र. यो.) के तहत एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से प्रत्येक के. प्र. यो. के तहत राशि जारी करने और उनके उपयोग की निगरानी करने का आदेश दिया (मार्च 2021)। प्रत्येक एसएनए के पास अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक निर्दिष्ट बैंक खाता होना चाहिए। राज्य सरकार को प्राप्त केंद्रीय हिस्से के साथ-साथ संगत राज्य हिस्से को भी संबंधित एसएनए खाते में हस्तांतरित करना होगा।

राज्य सरकार एकल नोडल एजेंसियों के माध्यम से के. प्र. यो. पर होने वाले व्यय का प्रबंधन कर रही है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अलग-अलग बैंक खाते संधारित किए जा रहे हैं। जिनका विवरण निम्नलिखित कंडिकाओं में दिया गया है।

2.6.1 एकल नोडल एजेंसी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, प्रत्येक के. प्र. यो. के लिए एसएनए खातों के माध्यम से प्रत्येक के. प्र. यो. के तहत राशि जारी करने और उनके उपयोग की निगरानी करने का आदेश दिया (मार्च 2021)। प्रत्येक एसएनए के पास अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक निर्दिष्ट बैंक खाता होना चाहिए। राज्य सरकार को केंद्रीय हिस्सेदारी प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्राप्त केंद्रीय हिस्से के साथ-साथ संगत राज्य हिस्से को संबंधित एसएनए खाते में स्थानांतरित करना आवश्यक था।

एसएनए पीएफएमएस प्रतिवेदन के साथ प्र. महा. (ले. एवं हक.) के कार्यालय में वाउचर लेवल कंप्यूटराईजेशन (वीएलसी) आँकड़ा के विश्लेषण से पता चला कि केंद्रीय और राज्य हिस्से को एसएनए खातों में हस्तांतरित करने में विसंगतियां हैं, जैसा कि **तालिका 2.17** में दिखाया गया है।

तालिका 2.17: केंद्रीय और राज्य हिस्से के हस्तांतरण में विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

आँकड़े का स्रोत	प्राप्त केंद्रीय हिस्सा	हस्तांतरित की गई केंद्रीय हिस्सेदारी	हस्तांतरित की गई राज्य हिस्सेदारी	राज्य द्वारा जारी की गई कम (-) / अधिक (+) राशि
वीएलसी	6,714.05	7,769.36	7,115.10	(+) 1,055.31
एसएनए पीएफएमएस प्रतिवेदन	6,453.77	6,151.83	5,114.43	(-) 301.94
अंतर	**260.28**	**1,644.99**	**2,232.78**	**(+) 753.37**

स्रोत: वित्त लेखे के टिप्पणियाँ

जैसा कि **तालिका 2.17** से देखा जा सकता है कि वीएलसी और पीएफएमएस प्रतिवेदन के आँकड़ों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। ऐसा आरबीआई से प्राप्त क्लीयरेंस मेमो और पीएफएमएस में प्रतिबिंबित राशि के आधार पर वीएलसी में दर्ज की गई राशि के बीच भिन्नता के कारण देखा गया था।

2.6.1.1 अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के विश्लेषण के दौरान देखे गए मुद्दे

(i) एकल नोडल खाते में व्यय के आँकड़ों में विसंगति

वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), राँची (मुख्यालय) द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यय विवरण के अनुसार, आठ चयनित इकाइयों में से सात द्वारा व्यय की गई राशि ₹ 491.93 करोड़ दिखाई गई थी, जबकि सिविल सर्जन (सीएस)-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सीएमओ) के तहत काम करने वाले जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों (डीआरएचएस) द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यय प्रतिवेदन के अनुसार, इन इकाइयों द्वारा किया गया व्यय मात्र ₹ 476.62 करोड़ था, जैसा कि **तालिका 2.18** में विस्तृत है।

तालिका 2.18: चयनित इकाइयों में व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	इकाइयों का नाम	एनएचएम, राँची (मुख्यालय) के अनुसार व्यय	डीआरएचएस के अनुसार व्यय	अंतर	टिप्पणियाँ
1	डीआरएचएस, धनबाद	71.90	70.91	0.99	
2	डीआरएचएस, खूँटी	36.59	37.23	(-) 0.64	
3	डीआरएचएस, जमशेदपुर	77.83	75.89	1.94	
4	डीआरएचएस, सरायकेला	51.97	50.97	1.00	
5	डीआरएचएस, हजारीबाग	65.90	-	-	एसएनए का विवरण नहीं दिया गया है
6	डीआरएचएस, गुमला	63.48	59.56	3.92	
7	डीआरएचएस, बोकारो	72.48	72.06	0.42	
8	डीआरएचएस, राँची	117.68	110.00	7.68	
कुल		**557.83**	**476.62**	**15.31**	

स्रोत: एनएचएम, राँची और चयनित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराया गया व्यय प्रतिवेदन।

इसलिए जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों को अपने व्यय को राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ समाशोधित करने की आवश्यकता है।

2.6.1.2 अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं बीसी कल्याण प्रभाग) के विश्लेषण के दौरान देखे गए मुद्दे

(i) अप्रयुक्त राशि का एकल नोडल खातों में हस्तांतरित नहीं होना

एकल नोडल खाता के संबंध में दिशानिर्देशों (मार्च 2021) के कंडिका 13 में कहा गया है कि योजना के लिए एसएनए के खुलने के बाद और कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए शून्य-शेष सहायक खाता खोलने से पहले या उन्हें राज्य स्थानीय प्रशासन खाते से आहरण अधिकार प्रदान करने से पहले, सभी स्तरों पर कार्यान्वयन एजेंसियां अपने खातों में पड़े सभी अप्रयुक्त धन को राज्य स्थानीय प्रशासन के एकल नोडल खाते में वापस कर देंगी। यह संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित

करे कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सभी अप्रयुक्त धन एकल नोडल खाते में वापस कर दिया जाए।

आठ जिलों में जिला कल्याण पदाधिकारियों के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 12 के. प्र. यो. के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी के नाम पर 12 अलग-अलग एकल नोडल खाते (बाल खाते) संचालित किए जा रहे थे। यह देखा गया कि इन योजनाओं से संबंधित अप्रयुक्त राशि, एसएनए में हस्तांतरित न कर अन्य बैंक / पीएल खातों में रखा गया था। जैसा कि **तालिका 2.19** में वर्णित है।

तालिका 2.19: एकल नोडल खातों में हस्तांतरित नहीं किए गए अप्रयुक्त राशि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय/डीडीओ	के. प्र. यो. का नाम	जिसमें राशि रखा गया	राशि जो एसएनए खातों में जमा नहीं की गई
1	खूँटी	जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम)	पीएल	4.27
2				पीएल	102.00
3			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एसटी)	पीएल	105.90
4			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी)	पीएल	37.37
5			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (बीसी)	पीएल	0.27
6			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	रोकड़बही	7.23
7			नागरिक अधिकारों के संरक्षण को लागू करने के लिए मशीनरी का सुदृढीकरण	पीएल	5.45
8			जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	पीएल	15.37
कुल (क)					**277.86**
1	सरायकेला-खरसावां	जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (सीसीडी) का विकास	पीएल	296.15
2			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	रोकड़बही	609.01
कुल (ख)					**905.16**
1	पश्चिम सिंहभूम	जिला कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एसटी)	पीएल	0.14
2			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी)	पीएल	0.26
3			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (बीसी)	पीएल	0.85
4			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	रोकड़बही	115.00
5			नागरिक अधिकारों के संरक्षण को लागू करने के लिए मशीनरी का सुदृढीकरण	रोकड़बही	16.50
कुल (ग)					**132.75**
1	साहिबगंज	जिला कल्याण पदाधिकारी, साहिबगंज	पीएमजेवीके (एमएसडीपी)	पीएल	351.15
2			नागरिक अधिकारों के संरक्षण को लागू करने के लिए मशीनरी का सुदृढीकरण	रोकड़बही	6.88
3			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी / एसटी)	पीएल	54.24
4			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (ओबीसी)	पीएल	0.56
5			जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	रोकड़बही	331.07
कुल (घ)					**743.90**
1	राँची	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	जनजातीय उप-क्षेत्रों को विशेष केंद्रीय सहायता	पीएल	0.24
2			पोस्ट मैट्रिक (एसटी और एससी)	पीएल	85.31
3			पोस्ट मैट्रिक (बीसी)	पीएल	11.87
4			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	रोकड़बही	72.76
कुल (ड़)					**170.18**

क्र. सं.	जिला	कार्यालय/डीडीओ	के. प्र. यो. का नाम	जिसमें राशि रखा गया	राशि जो एसएनए खातों में जमा नहीं की गई
1	गढ़वा	जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	रोकड़बही	44.29
2			नागरिक अधिकारों के संरक्षण को लागू करने के लिए मशीनरी का सुदृढीकरण	रोकड़बही	1.56
कुल (च)					**45.85**
1	गुमला	जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला	जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	पीएल	54.98
2			जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	रोकड़बही	525.86
3			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	पीएल	22.22
कुल (छ)					**603.06**
1	लोहरदगा	जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा	जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	पीएल	78.09
2			पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	रोकड़बही	0.26
कुल (ज)					**78.35**
सकल योग (क+ख+ग+घ+ड़+च+छ+ज)					**2,957.11**

यह देखा गया कि आठ जिलों में इन योजनाओं का पूर्व शेष ₹ 29.57 करोड़ सितंबर 2025 तक एसएनए में हस्तांतरित नहीं किया गया था।

(ii) एकल नोडल खाते में ₹ 596.03 करोड़ का महत्वपूर्ण शेष

एकल नोडल खातों के दिशानिर्देशों (मार्च 2021) के कंडिका 12 में कहा गया है कि किसी भी वित्तीय वर्ष के शुरुआत में, मंत्रालयों / विभागों द्वारा उस वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के लिए आवंटित राशि का 25 प्रतिशत से अधिक राशि राज्य को जारी नहीं करनी चाहिए। दिशानिर्देशों के अनुसार, अतिरिक्त केंद्रीय हिस्सेदारी को एकल नोडल खाते में निर्दिष्ट राज्य हिस्सेदारी के हस्तांतरण और पूर्व में निर्गत की गई राशि (राज्य और केंद्रीय दोनों हिस्सेदारी) के कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग के अधीन जारी किया जाएगा।

अनुदान संख्या 51 के अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि 18 के. प्र. यो. के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 18 अलग-अलग एकल नोडल खाते (मूल खाते) संचालित किए जा रहे थे। इन 18 एसएनए में से, 13 खातों में 2024-25 के अंत में महत्वपूर्ण शेष राशि देखी गई, जैसा कि **तालिका 2.20** में विस्तृत है।

तालिका 2.20: एकल नोडल खातों में महत्वपूर्ण शेष राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एसएनए योजना	राशि (आवंटन + प्रारंभिक शेष)	व्यय	शेष	उपयोग की गई धनराशि (प्रतिशत)
1	जनजातीय उप योजना (टीएसएस) को झारखण्ड विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)	330.77	30.07	300.70	9.09
2	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (ओबीसी)	95.88	91.51	4.37	95.44
3	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (ओबीसी)	717.13	705.04	12.09	98.31
4	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी)	30.69	17.11	13.58	55.75
5	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी)	61.50	32.06	29.44	52.13
6	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (एसटी)	99.38	73.13	26.25	73.59
7	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एसटी)	490.12	336.97	153.15	68.75
8	झारखण्ड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (टीआरआई को सहायता)	2.57	2.47	0.10	96.11
9	नागरिक अधिकारों के संरक्षण को लागू करने के लिए मशीनरी का सुदृढीकरण	2.93	2.28	0.65	77.82
10	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना	45.18	21.42	23.76	47.41
11	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास	13.27	4.33	8.94	32.63
12	प्रधानमंत्री जन जाति आदिवासी न्याय महा अभियान	2.12	0.62	1.50	29.25
13	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	25.09	3.60	21.49	14.35
कुल		**1,916.63**	**1,320.61**	**596.02**	**68.90**

स्रोत: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अभिलेख

तालिका 2.20 से देखा जा सकता है कि 13 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को ₹ 1,916.63 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसमें से वर्ष के दौरान ₹ 1,320.61 करोड़ व्यय किया गया, जिससे ₹ 596.02 करोड़ (31.10 प्रतिशत) शेष रह गया। इसके अलावा, यह देखा गया कि 13 में से नौ एसएनए में राशि का उपयोग 75 प्रतिशत से कम था।

नमूना-जाँच की गई इकाइयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि एकल नोडल खाते संचालित करने वाले आठ जिलों में से पाँच ने कुल आवंटन का 75 प्रतिशत से भी कम उपयोग किया था। **जैसा कि परिशिष्ट 2.13** में विस्तृत है।

(iii) योजनाओं के केंद्रीय हिस्से पर अर्जित ब्याज का विलंब से हस्तांतरण

एसएनए में निर्गत किए गए निधि से अर्जित ब्याज को प्रेषण की प्रक्रिया के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों (15 जुलाई 2022) के अनुसार, राज्य को प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए विगत वित्तीय वर्ष में एकल नोडल खाते में प्राप्त ब्याज की गणना अप्रैल के पहले सप्ताह में करनी चाहिए। अर्जित ब्याज को के. प्र. यो. के अनुमोदित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एसएनए द्वारा विभाजित किया जाएगा और संबंधित समेकित निधि में जमा किया जाएगा।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकल नोडल खातों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि 2022-23 से 2024-25 के दौरान, विभिन्न एसएनए में केंद्रीय हिस्से के रूप में प्राप्त ब्याज को भारत की समेकित निधि में 21 से 247 दिनों की देरी से जमा किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.14** में विस्तृत है।

एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अप्रैल के पहले सप्ताह में ब्याज की गणना और हस्तांतरण के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया।

(iv) रोकड़बही और एकल नोडल खाते के अंत शेष के बीच महत्वपूर्ण अंतर

वित्त प्रभाग, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी निर्देशों (06 नवंबर 2019) के अनुसार, प्रत्येक महीने रोकड़बही शेष का मिलान बैंक शेष के साथ किया जाना चाहिए। किसी भी अंतर की स्थिति में, अंतर के कारणों का पता लगाने के लिए बैंक समाशोधन विवरण तैयार किया जाना चाहिए।

जाँच के दौरान, यह देखा गया कि 13 में से 12 एसएनए में, 31 मार्च 2025 को एसएनए के संबंध में रोकड़बही शेष और बैंक शेष के बीच कुल ₹ 379.39 करोड़ का महत्वपूर्ण अंतर था। विवरण **तालिका 2.21** में दिखाया गया है।

तालिका 2.21: रोकड़बही और एसएनए में अंत शेष के बीच अंतर

(₹ लाख में)

क्र. सं.	एसएनए योजना	रोकड़बही के अनुसार शेष राशि	एसएनए के अनुसार शेष राशि	अंतर
1	जनजातीय उप योजना (टीएसएस) के लिए झारखण्ड विशेष केंद्र सहायता (एससीए)	18,914.33	29,717.61	(-) 10,803.28
2	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (ओबीसी)	0.00	497.16	(-) 497.16
3	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (ओबीसी)	0.00	891.67	(-) 891.67
4	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी)	0.00	1,358.59	(-) 1,358.59
5	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी)	485.49	3,012.05	(-) 2,526.56
6	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (एसटी)	0.00	2,704.27	(-) 2,704.27
7	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एसटी)	312.83	14,738.25	(-) 14,425.42
8	झारखण्ड जनजातीय अनुसंधान	7.52	12.31	(-) 4.79
9	नागरिक अधिकारों के संरक्षण को लागू करने के लिए मशीनरी का सुदृढीकरण	12.51	80.54	(-) 68.03
10	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना	0.00	1,896.06	(-) 1,896.06
11	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास (सीसीडी)	15.52	876.42	(-) 860.90
12	प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान	150.00	150.00	0.00
13	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	137.06	2,039.25	(-) 1,902.19
कुल		**20,035.26**	**57,974.18**	(-) **37,938.92**

रोकड़बही और बैंक खातों में शेष राशि के बीच भारी अंतर का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया।

2.6.2 एकल नोडल एजेंसी-स्पर्श

के. प्र. यो. के तहत निर्गत राशि की उपलब्धता और उपयोग की निगरानी बढ़ाने के लिए, व्यय विभाग, भारत सरकार ने निधि प्रवाह प्रक्रियाओं के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी की। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य भुगतान के लिए 'जस्ट-इन-टाइम रिलीज' के सिद्धांतों को लागू करना है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अधिक कुशल नकदी प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। इस प्रयास के तहत, के. प्र. यो. निधियों के एकीकृत और त्वरित हस्तांतरण के लिए एक वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र एसएनए-स्पर्श– एक जस्ट-इन-टाइम प्रणाली–शुरू की गई थी। यह प्रणाली लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ई-कुबेर को एकीकृत करने वाले एक निर्बाध ढांचे के माध्यम से संचालित होती है, जिससे कुशल और पारदर्शी निधि वितरण में मदद मिलती है।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने एसएनए स्पर्श मॉडल का उपयोग करके धनराशि के जस्ट-इन-टाइम प्रवाह के संबंध में (13 जुलाई 2023) अधिसूचना जारी की। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को स्पर्श प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया जाना था। भारत सरकार की अधिसूचना (13 जुलाई 2023) के अनुसार, सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में एसएनए स्पर्श के माध्यम से लागू करने के लिए 29 के. प्र. यो. को अधिसूचित किया गया है।

इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया कि 01 जुलाई 2025 से, विधानसभा वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसएनए स्पर्श के माध्यम से 37 अतिरिक्त के. प्र. यो. लागू किए जाने थे। इसके अलावा, 01 नवंबर 2025 से, सभी के. प्र. यो. को राज्यों और विधानसभा वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एसएनए स्पर्श के माध्यम से लागू करने की आवश्यकता थी।

अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला कि एसएनए के माध्यम से राज्य में 122 केंद्र प्रायोजित योजनाएँ चल रही थीं। हालाँकि, 30 सितंबर 2025 तक, केवल 28 एसएनए को एसएनए-स्पर्श में हस्तांतरित किया गया था और उनके लेखे प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) को प्रेषित किए गए थे।

2.7 अनुदान संख्या 20 तथा 51 की विस्तृत समीक्षा में देखे गए अन्य मुद्दे

2.7.1 सतत बचत

(अ) विगत चार वर्षों (2021-25) के बजट और व्यय के प्रवित्तियों के विश्लेषण से पता चला कि अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पास इस अवधि के दौरान सतत बचत थी। बजट अनुमानों की तुलना में बचत का विवरण प्रतिशत के साथ **तालिका 2.22** में दिखाया गया है।

तालिका 2.22: अनुदान संख्या 20 में 2021-22 से 2024-25 के दौरान बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2021-22	राजस्व	4,035.01	1,864.62	5,899.63	4,324.74	1,574.89	25
	पूँजीगत	398.20	160.00	558.20	488.68	69.52	
	कुल	**4,433.21**	**2,024.62**	**6,457.83**	**4,813.42**	**1,644.41**	
2022-23	राजस्व	5,159.66	972.61	6,132.27	4,674.15	1,458.12	21
	पूँजीगत	459.17	255.10	714.27	624.56	89.71	
	कुल	**5,618.83**	**1,227.71**	**6,846.54**	**5,298.71**	**1,547.83**	
2023-24	राजस्व	5,986.62	260.83	6,247.45	4,902.85	1,344.60	29
	पूँजीगत	1,054.28	528.93	1,583.21	650.78	932.43	
	कुल	**7,040.90**	**789.76**	**7,830.66**	**5,553.63**	**2,277.03**	
2024-25	राजस्व	6,303.12	439.52	6,742.64	4,797.77	1,944.87	32
	पूँजीगत	919.88	69.31	989.19	439.70	549.49	
	कुल	**7,223.00**	**508.83**	**7,731.83**	**5,237.47**	**2,494.36**	

स्रोत: विनियोग लेखे 2021-25

जैसा कि **तालिका 2.22** में देखा जा सकता है, विभाग के पास 2021-22 से 2024-25 के दौरान 21 से 32 प्रतिशत तक सतत बचत थी, जो न केवल विभाग को प्रदान की गई धनराशि का उपयोग करने में असमर्थता का संकेत है, बल्कि परिणामस्वरूप बजट दस्तावेजों में परिकल्पित योजनाओं के पूरा न होने को भी दर्शाता है।

(ब) अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं बीसी कल्याण प्रभाग) के विगत चार वर्षों (2021-25) के बजट और व्यय की प्रवित्तियों की समीक्षा से पता चला कि विभाग ने इस अवधि के दौरान सतत बचत की थी। बजट अनुमानों की तुलना में, इन सभी वर्षों में बचत का प्रतिशत बहुत अधिक था, जैसा कि **तालिका 2.23** में दिखाया गया है।

तालिका 2.23: अनुदान संख्या 51 में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत)
2021-22	राजस्व	1,536.87	97.16	1,634.03	1,080.74	553.28	32.34
	पूँजीगत	366.40	2.60	369.00	274.55	94.45	
	कुल	**1,903.27**	**99.76**	**2,003.03**	**1,355.29**	**647.73**	
2022-23	राजस्व	1,627.75	1,654.11	3,281.85	2,460.39	821.46	22.76
	पूँजीगत	336.46	300.24	636.70	566.14	70.56	
	कुल	**1,964.21**	**1,954.35**	**3,918.55**	**3,026.53**	**892.01**	
2023-24	राजस्व	2,231.49	838.40	3,069.89	2,039.14	1,030.75	31.32
	पूँजीगत	459.27	234.76	694.03	546.02	148.01	
	कुल	**2,690.76**	**1,073.16**	**3,763.92**	**2,585.16**	**1,178.76**	
2024-25	राजस्व	2,648.11	549.92	3,198.03	2,224.39	973.64	30.78
	पूँजीगत	523.62	0.00	523.62	351.88	171.74	
	कुल	**3,171.73**	**549.92**	**3,721.65**	**2,576.27**	**1,145.38**	

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

विभाग के पास 2021-22 से 2024-25 के दौरान भारी सतत बचत थी, जो विभाग को प्रदान की गई धनराशि का उपयोग करने में असमर्थता का संकेत था।

इसके अलावा, लेखों की जाँच से पता चला कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, विशेष केंद्रीय सहायता के लिए अनुदान, शहीद ग्राम विकास योजना आदि जैसी कई योजनाओं के तहत बचत, जो समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ प्रदान करने के लिए थी, बजट प्रावधान के 27 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच थी, जैसा कि **परिशिष्ट 2.15** में विस्तृत है।

2.7.2 बजट अनुमान का विलंब से प्रस्तुतीकरण

झारखण्ड बजट नियमावली (ब. नि.) के नियम 62 में राज्य के लिए सही और ससमय बजट तैयार करने के लिए बजट कैलेंडर प्रदान करता है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने बजट नियमावली में निर्धारित तिथि 01 अक्टूबर के विरूद्ध स्थापना व्यय और सामान्य बजट के अनुमान प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथियों को संशोधित (अक्टूबर 2023) कर क्रमशः 24 नवंबर 2023 और 15 दिसंबर 2023 कर दिया गया था।

(अ) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला है कि स्थापना व्यय के लिए बजट अनुमान (ब. अनु.) ससमय अर्थात 22 नवंबर 2023 को प्रस्तुत किए गए थे, जबकि सामान्य बजट के लिए ब. अनु. वित्त विभाग द्वारा तिथि के विरूद्ध 45 दिनों की देरी से 29 जनवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया था।

इसके अलावा, विभागीय निर्देशों (अक्टूबर 2023) के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए स्थापना व्यय (गैर-योजना) और सामान्य बजट (योजना) का बजट अनुमान संकलन और वित्त विभाग को प्रस्तुत करने के लिए क्रमशः 03 नवंबर 2023 और 16 नवंबर 2023 तक विभाग को प्रस्तुत किए जाने थे।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि सामान्य बजट के अनुमान क्षेत्र कार्यालयों द्वारा तैयार नहीं किए गए थे, जबकि स्थापना व्यय के बजट अनुमान विभाग को एक से 175 दिनों की देरी के साथ प्रस्तुत किए गए थे जैसा कि **तालिका 2.24** में दिखाया गया है।

तालिका 2.24: क्षेत्र कार्यालयों द्वारा स्थापना व्यय के बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में देरी

क्र. सं.	जिलों का नाम	कार्यालयों का नाम	प्रस्तुतीकरण की वास्तविक तिथि	देरी (दिनों में)
1	धनबाद	सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सीएस सह सीएमओ)	09.11.2023	06
2	खूँटी	सीएस सह सीएमओ	14.11.2023	11
		सदर अस्पताल	14.11.2023	11
3	हजारीबाग	शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (सदर अस्पताल)	प्रस्तुत नहीं किया गया	....
		शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय	04.11.2023	01

क्र. सं.	जिलों का नाम	कार्यालयों का नाम	प्रस्तुतीकरण की वास्तविक तिथि	देरी (दिनों में)
4	गुमला	सीएस सह सीएमओ	06.11.2023	03
		सदर अस्पताल	06.11.2023	03
5	बोकारो	सीएस सह सीएमओ	प्रस्तुत नहीं किया गया	--
		सदर अस्पताल	26.04.2024	175
6	राँची	सीएस सह सीएमओ	10.11.2023	07
		सदर अस्पताल	10.11.2023	07

(ब) अनुसूचित जनजाति**,** अनुसूचित जाति**,** अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला कि स्थापना व्यय के लिए बजट अनुमान (ब. अनु.) वित्त विभाग को 06 दिसंबर 2023 को अर्थात 12 दिनों की देरी से प्रस्तुत किए गए थे, जबकि सामान्य बजट के लिए ब. अनु. वित्त विभाग को 26 फरवरी 2024 को अर्थात वित्त विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के विरूद्ध 73 दिनों की देरी से प्रस्तुत किए गए थे। विवरण **तालिका 2.25** में दिया गया है।

तालिका 2.25: बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण का विवरण

क्र. सं.	के लिए बजट अनुमान	ब. अनु. प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि	विभाग द्वारा ब. अनु. प्रस्तुत करने की तिथि	ब. अनु. प्रस्तुत करने में देरी
1	स्थापना व्यय	24.11.2023	06.12.2023	12 दिन
2.	सामान्य बजट	15.12.2023	26.02.2024	73 दिन

नमूना-जाँच इकाइयों में, यह देखा गया कि दो इकाइयों द्वारा निर्धारित तिथि के विरुद्ध स्थापना व्यय के बजट अनुमान 110 से 115 दिनों के अंतराल के साथ प्रस्तुत किए गए थे, जैसा कि **तालिका 2.26** में विस्तृत है, जबकि सात इकाइयों[3] द्वारा स्थापना के लिए बजट अनुमान बिल्कुल भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

तालिका 2.26: क्षेत्र कार्यालयों द्वारा बजट अनुमान प्रस्तुतीकरण में देरी

क्र. सं.	कार्यालयों / डीडीओ के नाम	प्रस्तुत करने की नियत तिथि	डीडीओ द्वारा प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	देरी (दिनों में)
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	17.11.2023	10.04.2024	115 दिन
2	जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी		05.04.2024	110 दिन

क्षेत्र कार्यालयों द्वारा बजट अनुमानों के विलंब से प्रस्तुतीकरण से नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जाँच के लिए कम / कोई समय नहीं बचता है और अवास्तविक बजट निर्माण का जोखिम बढ़ जाता है।

[3] (i) जिला कल्याण पदाधिकारी (डीडब्ल्यूओ), गुमला (ii) डीडब्ल्यूओ, सरायकेला-खरसावां, (iii) डीडब्ल्यूओ, पश्चिम सिंहभूम (iv) डीडब्ल्यूओ, साहिबगंज (v) डीडब्ल्यूओ, गढ़वा (vi) डीडब्ल्यूओ, लोहरदगा तथा (vii) विशेष पहरिया पदाधिकारी, साहिबगंज।

2.7.3 अनुदान संख्या 51 में जिला इकाइयों से आवश्यकताएँ प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार करना

बजट नियमावली (ब. नि.) के नियम 65 के अनुसार, नियंत्री अधिकारी (नि. अ.) को वितरण अधिकारियों (वि. अ.) से प्राप्त बजटों का परीक्षण यह देखने के लिए करना चाहिए कि वे सही हैं, सभी विस्तृत ब्योरे एवं स्पष्टीकरण दिए गए हैं, तथा स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं।

जाँच से पता चला कि ब. नि. के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और सामान्य बजट (राज्य, केंद्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं) के लिए बजट अनुमानों को क्षेत्र इकाइयों से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त / आकलन किए बिना विभागीय स्तर पर तैयार किया गया था जो वास्तव में विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने और निधि का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी थे। इकाइयों से आवश्यकता प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार करना वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 3,721.65 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से ₹ 1,145.38 करोड़ (30.78 प्रतिशत) की बड़ी बचत का एक कारण हो सकता है।

2.7.4 संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं होना

बजट नियमावली के नियम 57 के नीचे टिप्पणियों के अनुसार, अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय की जा सकने वाली राशि से अधिक राशि का कोई प्रावधान न हो।

(अ) अनुदान संख्या 20 के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान क्षेत्र कार्यालयों से प्राप्त अनुमानों के आधार पर 44 उप-शीर्षों के तहत ₹ 334.76 करोड़ का बजट प्रदान किया गया था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष के अंत में संपूर्ण राशि को अभ्यर्पित / पुनर्विनियोग किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.16** में विस्तृत है।

इसके अलावा, कुछ उप-शीर्षों के तहत ₹ 12.64 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था, जैसा कि **तालिका 2.27** में विस्तृत है।

तालिका 2.27 संपूर्ण बजट प्रावधान का अप्रयुक्त रहना और अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिलों का नाम	कार्यालय का नाम	उप-शीर्ष	आवंटन	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण की तिथि
1	खूँटी	सिविल सर्जन सह सीएमओ	01	6.50	6.50	31.03.25
2	धनबाद	सदर अस्पताल	02	0.17	0.17	29.03.25
3	जमशेदपुर	सिविल सर्जन सह सीएमओ	04	41.18	41.18	29.03.25
		सदर अस्पताल	01	0.37	0.37	29.03.25
		एमजीएम महाविद्यालय	04	19.00	19.00	28.03.25
		एमजीएम चिकित्सा अस्पताल	04	401.67	401.67	29.03.25
4	सरायकेला-खरसावां	सिविल सर्जन सह सीएमओ	08	18.74	18.74	29.03.25
		सदर अस्पताल	02	0.59	0.59	29.03.25

क्र. सं.	जिलों का नाम	कार्यालय का नाम	उप-शीर्ष	आवंटन	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण की तिथि
5	हजारीबाग	सिविल सर्जन सह सीएमओ	14	72.25	72.25	31.03.25
		शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	01	0.50	0.50	28.03.25
6	गुमला	सिविल सर्जन सह सीएमओ	02	0.93	0.93	26.03.25
		सदर अस्पताल	01	0.50	0.50	31.03.25
7	बोकारो	सिविल सर्जन सह सीएमओ	04	0.92	0.92	04.03.25 और 17.03.25
8	राँची	सिविल सर्जन सह सीएमओ	03	700.45	700.45	29.03.25
कुल			**51**	**1,263.77**	**1,263.77**	

(ब) अनुदान संख्या 51 के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभाग द्वारा 57 उप-शीर्षों के तहत ₹ 343.33 करोड़ के बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया और संपूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.17** में विस्तृत है और **तालिका 2.28** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.28: संपूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रकृति	उप शीर्षों की कुल संख्या	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित की गई राशि	अनुदान 51 में कुल बचत	कुल बचत का प्रतिशत
1	राजस्व	35	227.71	227.71	973.64	23.39
2	पूँजीगत	22	115.62	115.62	171.74	67.32
कुल		**57**	**343.33**	**343.33**	**1,145.38**	**29.98**

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

जैसा कि **तालिका 2.28** से देखा जा सकता है, 57 शीर्षों में ₹ 343.33 करोड़ का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त था और संपूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया था।

जाँच से यह भी पता चला कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20 उप-शीर्षों के तहत ₹ 248.50 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2024-25 में उसी उप-शीर्षों में ₹ 292.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी, जो पुन: अप्रयुक्त रही, जैसा कि **परिशिष्ट 2.18** में विस्तृत है।

नमूना-जाँच इकाइयों में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 79 शीर्षों / उप-शीर्षों के तहत किए गए ₹ 92.60 लाख का संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था और अंततः वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया। जैसा की **तालिका 2.29** में दिखाया गया है।

तालिका 2.29: नमूना-जाँच इकाइयों में संपूर्ण बजट प्रावधान का अप्रयुक्त रहना और अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिले का नाम	कार्यालयों का नाम	उपशीर्षों की संख्या	आवंटन	अभ्यर्पण
1	पश्चिम सिंहभूम	जिला कल्याण कार्यालय, चाईबासा	14	29.74	29.74
2	सरायकेला-खरसावां	जिला कल्याण कार्यालय, सरायकेला-खरसावां	6	3.59	3.59
3	साहिबगंज	जिला कल्याण पदाधिकारी , साहिबगंज	9	1.13	1.13

क्र. सं.	जिले का नाम	कार्यालयों का नाम	उपशीर्षों की संख्या	आवंटन	अभ्यर्पण
4		पहरिया कल्याण पदाधिकारी, साहिबगंज	6	1.75	1.75
5	गढ़वा	जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा	10	8.85	8.85
6	राँची	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	7	7.50	7.50
7	गुमला	जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला	10	16.39	16.39
8	लोहरदगा	जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा	9	15.04	15.04
9	खूँटी	जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी	8	8.61	8.61
कुल			**79**	**92.60**	**92.60**

2.7.5 बचत का अभ्यर्पण नहीं होने के कारण निधि का व्यपगत होना

ब. नि. के नियम 112 के अनुसार, सभी प्रत्याशित बचतों को वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही उनका पूर्वानुमान हो, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित दिया जाना चाहिए। भविष्य के संभावित आधिक्य के लिए कोई बचत रक्षित नहीं रखी जानी चाहिए।

विनियोग लेखे की जाँच से पता चला कि अनुदान संख्या 20 के तहत 65 उप-शीर्षों के तहत ₹ 4,188.79 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध, ₹ 2,505.05 करोड़ (60 प्रतिशत) की राशि व्यय की गई, जिससे कुल बचत ₹ 1,683.74 करोड़ (40 प्रतिशत) रह गई, जिसमें से ₹ 1,134.99 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई और ₹ 548.75 करोड़ की राशि को व्यपगत होने दिया गया। वित्तीय वर्ष के अंत में सात उप-शीर्षों के तहत ₹ 134.71 करोड़ के अतिरिक्त व्यय से इसकी प्रतिपूर्ति की गई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.19** में विस्तृत है।

अपेक्षित बचत का अभ्यर्पित न होना बजट नियमावली के नियम 112 के विरुद्ध था।

2.7.6 वित्तीय वर्ष के अंत में निधि का अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, सभी प्रत्याशित बचतों को वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही उनका पूर्वानुमान हो, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। भविष्य के संभावित आधिक्य के लिए कोई बचत रक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। इसके अलावा, ब. नि. के नियम 135 के अनुसार, जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वयं प्रकट होती है, तो नियंत्री अधिकारी को सावधानीपूर्वक उस राशि का अनुमान लगाना चाहिए जिसे वह अभ्यर्पित कर सकता है।

(अ) अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की जाँच से पता चला है कि ₹ 2,080.32 करोड़ के कुल अभ्यर्पण में से, विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में ₹ 1,047.16 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के तहत ₹ 51.18 करोड़ और राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 995.98 करोड़) का अभ्यर्पण किया।

इसके अलावा, चयनित नमूना-जाँच इकाइयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में ₹ 29.18 करोड़ (कुल प्रावधानों का 60 प्रतिशत) का अभ्यर्पण 'निधि का विलंब से आवंटन', 'व्यय की प्रत्याशा' आदि जैसे कारणों से किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.20** में विस्तृत है।

(ब) अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग (एसटी, एससी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रभाग) की जाँच से पता चला कि ₹ 3,721.65 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के तहत ₹ 523.62 करोड़ और राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 3,198.03 करोड़) के बजट प्रावधान के विरूद्ध, वित्तीय वर्ष के अंत में विभाग द्वारा ₹ 913.85 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के तहत ₹ 117.94 करोड़ और राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 795.91 करोड़) का अभ्यर्पण किया गया था।

नमूना-जाँच इकाइयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 20.23 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था, जैसा कि **तालिका 2.30** में विस्तृत है।

तालिका 2.30: वित्तीय वर्ष के अंत (29 मार्च 2025) में अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय/डीडीओ	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पित राशि
1	खूँटी	जिला कल्याण कार्यालय, खूँटी	54.15	52.82	0.83
2	सरायकेला-खरसावां	जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां	69.40	68.50	0.90
3	पश्चिम सिंहभूम	जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम सिंहभूम	73.87	69.14	4.73
4	साहिबगंज	जिला कल्याण पदाधिकारी, साहिबगंज	66.86	46.93	1.63
5		विशेष पहरिया पदाधिकारी, साहिबगंज	9.34	7.58	1.76
6	राँची	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	28.53	24.87	3.66
7	गढ़वा	जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा	54.66	52.37	2.29
8	गुमला	जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला	46.51	42.95	3.56
9	लोहरदगा	जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा	7.70	6.83	0.87
कुल			**411.02**	**371.99**	**20.23**

वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पण होने के कारण सरकार के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर उपलब्ध निधि का उपयोग करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा, जो निधि की कमी के कारण अधूरे रह गए होंगे।

2.7.7 व्यक्तिगत बही खातों में अप्रयुक्त निधियों का अवरूद्ध रहना

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा. को. सं.) के नियम 174 के अनुसार, मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों की व्यपगतता को रोकने के लिए कोषागार से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। इसके अलावा, झा. को. सं. के नियम 334 के अनुसार, जमा प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेगा। लगातार दो वित्तीय वर्षों के बाद बिना अव्यवहृत राशि को आगे व्यय नहीं किया जाना चाहिए तथा शेष राशि को व्यय में कटौती के रूप में संबंधित सेवा शीर्ष में हस्तांतरित किया जाना चाहिए, जिससे धनराशि की निकासी की गई थी।

(अ) अनुदान संख्या 20 की नमूना-जाँच इकाइयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 31 मार्च 2025 तक व्यक्तिगत बही (पीएल) खातों (8448-स्थानीय निधियों की जमा) में ₹ 77.32 करोड़ रखे गए थे, जिनमें से ₹ 26.87 करोड़ तीन वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रहे, जैसा कि **तालिका 2.31** में दिखाया गया है।

तालिका 2.31: 31 मार्च 2025 को पीएल खातों में रखी गई राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अभिकरण / कार्यालय का नाम	राशि	तीन वर्षों से अधिक समय तक बिना व्यय की गई राशि
1	झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेएमएचआईडीपीसीएल)	51.41	26.87
2	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	25.91	--
कुल		**77.32**	**26.87**

इसके अलावा, जेएमएचआईडीपीसीएल, राँची के तहत योजनाओं की जाँच से पता चला कि दो योजनाओं के तहत प्राप्त कुल राशि ₹ 24.90 करोड़ तीन वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रही। विवरण **तालिका 2.32** में दिए गए हैं।

तालिका 2.32: तीन वर्षों से अधिक समय तक पीएल खातों में पड़े अप्रयुक्त राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जाँच की गई योजनाओं के नाम	01.04.2022 का अवशेष	31.03.2023 का अवशेष	31.03.2024 का अवशेष	31.03.2025 का अवशेष
1	राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण (के.प्र.यो.)	4.90	4.90	4.90	4.90
2	सैनिटरी नैपकिन का क्रय	20.00	20.00	20.00	20.00
कुल		**24.90**	**24.90**	**24.90**	**24.90**

इसके अलावा, यह देखा गया कि केंद्र प्रायोजित योजना 'राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण' के संबंध में 31 मार्च 2025 तक एकल नोडल खाता नहीं खोला गया था, जिसके लिए वर्ष 2019-20 के दौरान जेएमएचआईडीपीसीएल द्वारा ₹ 4.90 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹ 2.67 करोड़ और राज्य हिस्सा ₹ 2.23 करोड़) प्राप्त हुए थे।

(ब) अनुदान संख्या 51 की नमूना-जाँच इकाइयों के अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि 31 मार्च 2025 तक पीएल खातों (8448-स्थानीय निधियों की जमा) में ₹ 666.35 करोड़ जमा थे, जैसा कि **तालिका 2.33** में दिखाया गया है।

तालिका 2.33: 31 मार्च 2025 को पीएल खाते में अवरुद्ध राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अभिकरण / कार्यालय का नाम	31 मार्च 2025 का अवशेष राशि	तीन वर्षों से अधिक समय तक अव्यवहृत राशि	शामिल योजनाएँ
1	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, खूँटी	92.37	34.05	80
2	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावां	181.17	53.71	38
3	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, चाईबासा	100.32	10.94	153
4	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, साहिबगंज	64.71	33.03	67
5	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, राँची	89.72	44.49	96
6	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, गुमला	57.90	30.51	78
7	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, लोहरदगा	26.96	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8	जिला कल्याण कार्यालय, गढ़वा	53.20	11.76	30
कुल		**666.35**	**218.49**	**542**

इसके अलावा, नमूना-जाँच इकाइयों में जाँच से पता चला कि इन योजनाओं में ₹ 666.35 करोड़ के अंत शेष में से ₹ 218.49 करोड़ तीन वर्षों से अधिक समय तक अव्यवहृत रहे।

2.7.8 पीएल खातों के अंत शेष तथा प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के आँकड़ों में भिन्नता

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 353 के अनुसार, कोषागार पदाधिकारी को अपने मासिक खातों के साथ सभी जमाओं और स्थानीय निधियों के लिए प्लस एवं माइनस ज्ञापन तैयार कर प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) को भेजना चाहिए। उनकी पुस्तकों में वास्तविक क्रेडिट और वास्तविक डेबिट तथा प्रधान महालेखाकार द्वारा सूचित किए गए किसी भी क्रेडिट या डेबिट को केवल उचित कॉलम में दर्ज किया जाना चाहिए, और फिर विगत माह के ज्ञापन में दिखाए गए अंत शेष को प्रारंभिक शेष के रूप में आगे ले जाया जाना चाहिए और उसके बाद महीने का अंत शेष तैयार किया जाना चाहिए। यह सब स्वतंत्र रूप से और निधियों के प्रशासकों के संदर्भ के बिना किया जाना चाहिए। प्रधान महालेखाकार को ज्ञापन प्रस्तुत करने से पहले, पासबुक के आँकड़ों के साथ सत्यापन किया जाना चाहिए और ज्ञापन के मुख्य भाग पर उस प्रभाव का प्रमाण पत्र दर्ज किया जाना चाहिए। यदि इस सत्यापन के दौरान कोई विसंगतियां पाई जाती है, तो उसे तुरंत मिलान के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और ज्ञापन पर टिप्पण बनाना चाहिए कि कैसे मिलान की गई है या इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

(अ) अनुदान संख्या 20 की चयनित इकाईयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 31 मार्च 2025 को पीएल खातों का अंत शेष ₹ 77.32 करोड़ था, जबकि प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के पास उपलब्ध आँकड़ा (प्लस एवं माइनस ज्ञापन) के अनुसार अंत शेष ₹ 415.66 करोड़ था। इसप्रकार, इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अंत शेष और कोषागार द्वारा प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) को उपलब्ध कराए गए अंत शेष के बीच ₹ (-) 338.34 करोड़ का अंतर था। जैसा कि **तालिका 2.34** में विस्तृत है।

तालिका 2.34: 31 मार्च 2025 को पीएल खातों के अंत शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालयों / इकाइयों का नाम	अंत शेष (सीबी)		
		इकाईयों के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार	कोषागार द्वारा प्र. महा. (ले. एवं हक.) को उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार	अंतशेष में अंतर
1	झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेएमएचआईडीपीसीएल), राँची	51.41	171.58	(-) 120.17
2	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	25.91	244.08	(-) 218.17
कुल		**77.32**	**415.66**	**(-) 338.34**

स्रोत: प्र. महा. (ले. एवं हक.) के अभिलेख एवं नमूना-जाँच इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए पीएल खातों का शेष

(ब) अनुदान संख्या 51 की नमूना-जाँच इकाइयों में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 31 मार्च 2025 को अंत शेष ₹ 666.35 करोड़ थी, जबकि प्र. महा. (ले. एवं हक.) की पुस्तकों के अनुसार अंत शेष ₹ 540.51 करोड़ थी। इसलिए, इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अंत शेष और प्र. महा. (ले. एवं हक.) कार्यालय की पुस्तकों में अंत शेष के बीच ₹ 72.64 करोड़ का अंतर था। विवरण **तालिका 2.35** में दिया गया है।

तालिका 2.35: 31 मार्च 2025 को पीएल खातों के अंत शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालयों / इकाईयों का नाम	अंत शेष (सीबी)		
		इकाइयों के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार	प्र. महा. (ले. एवं हक.) के अभिलेखों के अनुसार	अंत शेष में अंतर
1	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, खूँटी	92.37	98.41	(-) 6.04
2	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावां	181.17	162.36	18.81
3	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, चाईबासा	100.32	26.44	73.88
4	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, साहिबगंज	64.71	69.78	(-) 5.07
5	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, राँची	89.72	87.89	1.83
6	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, गुमला	57.90	60.12	(-) 2.22
7	एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण, लोहरदगा	26.96	35.51	(-) 8.55
8	जिला कल्याण कार्यालय, गढ़वा	53.20	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कुल		**666.35**	**540.51**	**72.64**

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय तथा नमूना-जाँच इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए पीएल खातों का शेष विवरणी।

2.7.9 अनुदान संख्या 20 के तहत वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में पीएल खाते में हस्तांतरित की गई राशि

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा. को. सं.) के नियम 174 के अनुसार माँग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों की व्यपगतता को रोकने के लिए कोषागार से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी।

एनएचएम और जेएमएचआईडीपीसीएल, राँची के अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि वर्ष के अंत (मार्च 2025) में विभाग द्वारा ₹ 37.54 करोड़ की निकासी की गई थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राँची (₹ 15.00 करोड़) और जेएमएचआईडीपीसीएल, राँची (₹ 22.54 करोड़) के पीएल खाते में हस्तांतरित किया गया था। जैसा कि **तालिका 2.36** में विस्तृत है।

तालिका 2.36: मार्च 2025 में राशि का आहरण कर पीएल खातों में हस्तांतरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	द्वारा निकासी	आहरण की तिथि	आहरित राशि	जेएमएचआईडीपीसीएल / एनएचएम के पीएल में हस्तांतरित राशि
1	अवर सचिव, खाद्य सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड सरकार	28.03.2025	112.74	112.74
2	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा का कार्यालय, झारखण्ड सरकार	17.03.2025	2,025.56	2,025.56
3		12.03.2025	115.90	115.90
4		27.03.2025	1,500.00	1,500.00
कुल			**3,754.20**	**3,754.20**

वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में समेकित निधि से धन की निकासी और पीएल खातों में हस्तांतरण वित्तीय औचित्य के विरूद्ध था।

2.7.10 अप्रयुक्त एवं बैंक खातों में राशि का अवरूद्ध रहना

झा. को. सं. के नियम 174 के अनुसार माँग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों की व्यपगतता को रोकने के लिए कोषागार से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। इसके अलावा, वित्त विभाग ने यह भी निर्देश दिया है (13 अप्रैल 2022) कि कोषागार से राशि निकालकर इसे लंबे समय तक अप्रयुक्त रखना वित्तीय अनुशासन के विरूद्ध है। न केवल बैंक खाते में जमा और अप्रयुक्त राशि को समेकित निधि में जमा करना आवश्यक है, बल्कि ऐसी निधियों पर अर्जित ब्याज को भी समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिए।

अनुदान संख्या 20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में देखे गए मुद्दे

(अ) अनुदान संख्या 20 के तहत नमूना-जाँच इकाईयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि मार्च 2025 तक बैंक विवरण के अनुसार अंत शेष राशि ₹ 33.67 करोड़ था जिसमें से ₹ 22.97 करोड़ (ब्याज सहित) वित्तीय नियमों के उल्लंघन करते हुए एक से आठ साल की अवधि के लिए बैंक खाता में रखा गया था। जैसा की **परिशिष्ट 2.21** में विस्तृत है।

नमूना-जाँच इकाइयों के डीडीओ द्वारा जवाब में (दिसंबर 2025) में कहा गया कि सत्यापन के बाद अप्रयुक्त राशि को कोषागार में प्रेषित कर दिया जाएगा।

(ब) ट्रॉमा सेंटर, कर्मचारियों एवं संसाधनों के साथ एक ऐसा अस्पताल है जिसमें कार दुर्घटना, गिरने या अन्य बड़ी दर्दनाक घटनाओं से पीड़ित रोगियों के लिए विशेष देखभाल प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि भारत सरकार द्वारा शहीद निर्मल महतो (एसएनएम) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद को धनबाद में एक ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए ₹ 80 लाख (31 मार्च 2012) प्रदान किए गए थे। कुल निधि (₹ 1.25 करोड़ जिसमें ₹ 44.75 लाख ब्याज भी शामिल है) का उपयोग नहीं किया

गया और 31 जनवरी 2025 तक बचत बैंक खाते (बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 470110110005200) में रखा रहा।

इसी प्रकार, ट्रामा सेंटर, हजारीबाग के लिए प्रदान की गई कुल धनराशि ₹ 185.64 लाख (मई 2012) में से, एम्बुलेंस सेवाओं (₹ 11.75 लाख), कार्यालय उपकरण (₹ 3.20 लाख), संचार (₹ 1.00 लाख) तथा सिविल कार्य (₹ 9.25 लाख) के तहत कुल ₹ 25.20 लाख अप्रयुक्त रही। ब्याज की राशि ₹ 126.83 लाख सहित शेष राशि 10 वर्षों से अधिक समय तक बचत बैंक खाते में रखा गया था।

प्रावधानों के उपयोग नहीं होने का कारण इकाईयों द्वारा नहीं दिए गए थे।

अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग (एसटी, एससी एवं ओबीसी प्रभाग) में देखे गए मुद्दे

(अ) वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान कक्षा 8 में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (एसटी, एससी एवं ओबीसी प्रभाग) के छात्रों को साइकिलों के वितरण के लिए, जनजातीय कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा नमूना-जाँच किए गए (जि. क. पदा.-जिला कल्याण पदाधिकारियों) को डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करने के लिए राशि प्रदान किया गया था (नवंबर 2023)।

₹ 48.95 करोड़ के कुल हस्तांतरित में से, ₹ 4,500 प्रति छात्र, ₹ 10.58 करोड़ भुगतान विफलताओं के कारण लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित नहीं किया गया था। 2023-24 अवधि के लिए असफल लेनदेन (₹ 10.58 करोड़) से संबंधित राशि सितंबर 2025 तक जि. क. पदा. के बैंक खाते में बिना व्यय का पड़ा हुआ था। विवरण **तालिका 2.37** में दिया गया है।

तालिका 2.37: जि. क. पदा. के खाते में अवरूद्ध साइकिल योजना की अवितरित राशि का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय	असफल लेनदेन की संख्या	कुल राशि
1	खूँटी	जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी	1,198	53.91
2	सरायकेला-खरसावां	जिला कल्याण कार्यालय, सरायकेला-खरसावां	2,760	124.20
3	गढ़वा	जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा	19,500	877.50
4	साहिबगंज	जिला कल्याण पदाधिकारी, साहिबगंज	50	2.25
कुल			**23,508**	**1,057.86**

इसी प्रकार, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1-8 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जानी थी।

खूँटी, सरायकेला और गढ़वा के जि. क. पदा. के नमूना-जाँच के दौरान, यह देखा गया कि भुगतान विफलता के कारण डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में ₹ 8.78 करोड़ हस्तांतरित नहीं किए गए थे और संबंधित राशि सितंबर 2025 तक एक से तीन वर्षों तक जि. क. पदा. के बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी थी। विवरण **तालिका 2.38** में दिया गया है।

तालिका 2.38: जि. क. पदा. के खाते में अवरूद्ध प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 1-8) की अवितरित राशि का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय	राशि
1	खूँटी	जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी	26.70
2	सरायकेला-खरसावां	जिला कल्याण कार्यालय, सरायकेला-खरसावां	2.88
3	गढ़वा	जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा	848.49
कुल			**878.07**

इसप्रकार, साइकिल और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत कुल ₹ 19.36 करोड़ की राशि एक वर्ष से अधिक समय तक जि. क. पदा. के बैंक खातों में अवरूद्ध पड़ा रहा।

(ब) जिला कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा एवं गुमला तथा आईटीडीए, राँची के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि सितंबर 2025 तक विगत सात वर्षों में बैंक ब्याज राशि ₹ 11.22 करोड़ उनके बैंक खातों में अवरूद्ध था। विवरण **तालिका 2.39** में दिया गया है।

तालिका 2.39: सरकारी खाते में जमा नहीं किए गए बैंक ब्याज का विवरण

क्र. सं.	डीडीओ का नाम	ब्याज की राशि (₹ लाख में)
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा	291.62
2	आईटीडीए, राँची	19.47
3	जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला	811.10
कुल		**1,122.19**

(स) मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखण्ड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विकलांग युवाओं को ऋण और ऋण सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों (आसानी से सुलभ और तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों) पर ऋण प्रदान करना है।

सरायकेला-खरसावां और चाईबासा जिलों में जाँच की गई इकाईयों के अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि जिला कल्याण पदाधिकारियों को निगमों[4] से 1,189 लाभार्थियों को ऋण वितरण के लिए ₹ 27.51 करोड़ प्राप्त हुए थे जिसमें से

[4] झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक एवं विकास निगम, झारखण्ड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड तथा झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड।

₹ 22.63 करोड़ 989 लाभार्थियों को वितरित किए गए थे, शेष ₹ 4.88 करोड़ (200 लाभार्थियों को अवितरित) था। विवरण **तालिका 2.40** में दिए गए है।

तालिका 2.40: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अवरूद्ध राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालय	वित्तीय वर्ष	अनुमोदित आवेदन	अनुमोदित राशि	वितरित		शेष	
					संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	जि. क. पदा., सरायकेला-खरसावां	2021-22 से 2022-23	1,046	20.16	864	16.68	182	3.48
2		2023-24	22	1.50	19	1.09	3	0.40
कुल (अ)			**1,068**	**21.66**	**883**	**17.77**	**185**	**3.88**
1	जि. क. पदा., चाईबासा	2021-22	83	3.60	70	2.78	13	0.82
2		2022-23	21	0.58	20	0.54	1	0.04
3		2023-24	17	1.68	16	1.55	1	0.14
कुल (ब)			**121**	**5.86**	**106**	**4.87**	**15**	**1.00**
कुल योग (अ+ब)			**1,189**	**27.52**	**989**	**22.64**	**200**	**4.88**

स्रोत: नमूना-जाँच इकाईयों के अभिलेख

2020-21 से 2023-24 की अवधि से संबंधित ₹ 4.88 करोड़ की अवितरित राशि सितंबर 2025 तक जि. क. पदा. द्वारा संधारित बैंक खातों में अवरूद्ध रहा।

2.7.11 अनुदान संख्या 20 में 15वें वित्त आयोग के तहत प्रदान की गई धनराशि का अप्रयुक्त तथा अवरूद्ध रहना

15वें वित्त आयोग (वि. आ.) की सिफारिश के आलोक में, भारत सरकार ने झारखण्ड में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सहायता-अनुदान के रूप में 2021-22 से 2025-26 के दौरान ₹ 2,370 करोड़ की राशि निर्धारित की है।

चयनित इकाईयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 2021-22 से 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग के तहत सहायता-अनुदान के रूप में प्रदान किए गए ₹ 95.71 करोड़ में से केवल ₹ 22.62 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया था, जिससे ₹ 73.09 करोड़ की शेष राशि इन इकाईयों द्वारा 15वें वित्त आयोग के निधि के लिए खोले गए बैंक खातों में अवरूद्ध रहा। विवरण **परिशिष्ट 2.22** में दिखाया गया है।

प्रावधानों का उपयोग नहीं होने का कारण इकाईयों द्वारा नहीं दिए गए थे।

2.7.12 राजस्व प्राप्तियों का सरकारी खाते में जमा नहीं होना

झा. को. सं. के नियम 39 के अनुसार, प्राप्त सभी राजस्व को बिना विलंब के सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए। प्राप्त राशि का विभागीय व्यय को पूरा करने के लिए विनियोजित नहीं किया जाएगा या अन्यथा सरकारी खाते से बाहर नहीं रखा जाएगा।

अनुदान संख्या 20 के तहत चयनित इकाईयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि नामांकन एवं शिक्षण शुल्क, पंजीकरण तथा क्लिनिकों के नवीनीकरण आदि के विरूद्ध ₹ 1.26 करोड़ प्राप्त किए गए थे, जिसमें से केवल ₹ 24.37 लाख (30.08.2023)

सरकारी खाते में प्रेषित किए गए। शेष ₹ 101.74 लाख सरकारी खाते से बाहर रहा और झा. को. सं. के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बैंक खातों में रखा गया, जैसा कि **तालिका 2.41** में विस्तृत है।

तालिका 2.41: कोषागार को प्रेषित नहीं किए गए राजस्व का विवरण

(₹ लाख में)

कार्यालय का नाम	राजस्व का स्रोत	प्राप्त राजस्व	कोषागार को प्रेषित	शेष	टिप्पणियाँ
शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, हजारीबाग	नामांकन एवं शिक्षण शुल्क	80.72	24.37	56.35	शेष राशि चालू बैंक खाते में रखी गई थी
सिविल सर्जन-सह-सीएमओ, सरायकेला-खरसावां	क्लिनिक का पंजीकरण तथा नवीनीकरण	3.72	0.00	3.72	शेष राशि बचत बैंक खाते में रखी गई थी
	पीसी एवं पीएनडीटी	16.36	0.00	16.36	
सिविल सर्जन-सह-सीएमओ, जमशेदपुर	क्लिनिक का पंजीकरण तथा नवीनीकरण	25.31	0.00	25.31	शेष राशि बचत बैंक खाते में रखी गई थी
कुल		**126.11**	**24.37**	**101.74**	

2.7.13 अंत शेष में विसंगति

वित्त विभाग, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी निर्देशों (06 नवंबर 2019) के अनुसार, प्रत्येक माह बैंक शेष का मिलान रोकड़बही शेष से किया जाना चाहिए। किसी भी अंतर की स्थिति में, बैंक समाधान विवरण आहरण एवं वितरण पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जाना चाहिए ताकि अंतर के कारणों का पता लगाया जा सके। बिना उपयोग के बैंक खाते में पडी किसी भी राशि को जल्द से जल्द कोषागार / निधि प्रदान करने वाली एजेंसी को भेजा जाना चाहिए।

(अ) अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित नमूना-जाँच इकाईयों में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि छह इकाइयों के बैंक विवरण के अनुसार 31 मार्च 2025 तक ₹ 193.93 करोड़ का अंत शेष था, जबकि रोकड़ बही के अनुसार अंत शेष ₹ 778.14 करोड़ था, परिणामस्वरूप ₹ 584.21 करोड़ का अंतर आया। जैसा कि **तालिका 2.42** में दिखाया गया है।

तालिका 2.42: अंत शेष में विसंगति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालयों का नाम	रोकड़ बहियों का नाम	बैंक विवरण के अनुसार शेष राशि	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि	अंतर
1	एसएनएम चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद	सामान्य (मुख्य)	111.76	109.86	1.90
		पीजी कोर्स	1.56	2.72	(-) 1.16
		पीजी अपग्रेडेशन	1,228.75	1,228.44	0.31
2	सदर अस्पताल, खूँटी	सामान्य	2.37	0.00	2.37
3	सीएस-सह-सीएमओ, जमशेदपुर	डीआरएचएस पूर्वी सिंहभूम आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल	430.08	399.81	30.27

क्र. सं.	कार्यालयों का नाम	रोकड़ बहियों का नाम	बैंक विवरण के अनुसार शेष राशि	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि	अंतर
		गंभीर बीमारी	145.73	395.49	(-) 249.76
		अटल मोहल्ला	22.07	19.90	2.17
4	सीएस-सह-सीएमओ, सरायकेला-खरसावां	सामान्य	4.75	7.32	(-) 2.57
5	सीएस-सह-सीएमओ, बोकारो	मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना (असाध्य रोग)	166.23	152.21	14.02
		एड्स नियंत्रण और डीएमएफटी	31.84	31.67	0.17
		साहिया, झारखण्ड स्वस्थ प्रहरी	283.73	278.18	5.55
		पीसीपीएनडीटी	43.19	38.88	4.31
		क्लिनिक स्थापना	42.06	38.81	3.25
6	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), राँची	एनएचएम	16,878.97	75,110.69	(-) 58,231.72
कुल			**19,393.09**	**77,813.98**	**(-) 58,420.89**

स्रोत: इकाईयों द्वारा प्रदान की गई रोकड़बही तथा बैंक विवरणी।

जैसा कि **तालिका 2.42** से देखा जा सकता है, रोकड़बही और बैंक विवरणी के शेष में ₹ 584.21 करोड़ का भारी अंतर, एक गंभीर अनियमितता को बताता है और निधि के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अंतर को न तो समाशोधन किया गया और न ही इसके कारण बताए गए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक (वित्त) ने बताया (जनवरी 2026) कि अंतर केवल ₹ 15.89 करोड़ था जो समाशोधन के अधीन है। हालाँकि, निदेशक, एनएचएम द्वारा कोई अनुषंगी दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया था।

(ब) जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां (अनुदान संख्या 51) के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि 31 मार्च 2025 को रोकड़बही के अनुसार ₹ 3,201.07 लाख का शेष था। आगे की जाँच से पता चला कि जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां के विभिन्न बैंक खातों में ₹ 2,397.35 लाख पड़ा था, विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता, कर्मचारियों आदि को अग्रिम के रूप में ₹ 1,129.82 लाख दिए गए थे, जबकि ₹ 19.77 लाख बिना समायोजित अभिश्रव[5] (कुल ₹ 3,546.94 लाख) के विरूद्ध दिखाए गए थे, जिनमें से सभी का कुल योग ₹ 345.87 लाख से अधिक था। विसंगति के कारणों को नहीं बताया गया।

2.7.14 धन निकासी के लिए निर्धारित प्रपत्रों का उपयोग नहीं किया जाना

झारखण्ड कोषागार संहिता में विभिन्न प्रकार के धन निकासी के लिए अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित हैं। सहायता-अनुदान को प्रपत्र 41 पर जबकि एसी विपत्रों को प्रपत्र 26 पर निकासी किया जाना है आदि।

[5] धन की प्रत्याशा में किया गया भुगतान।

अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की नमूना-जाँच इकाइयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्र तथा सहायता-अनुदान विपत्र गलत प्रपत्रों पर तैयार की गई थी। जिसके कारण, इन विपत्रों पर निकासी की गई राशि को प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) की पुस्तकों में एसी विपत्र तथा सहायता-अनुदान विपत्र के रूप में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे बकाया एसी विपत्र तथा बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की कम गणना हुई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.23** में विस्तृत है।

2.7.15 अप्रयुक्त राशि का अभ्यर्पण नहीं होना

अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) की जाँच से पता चला कि ₹ 1,145.38 करोड़ (पूँजीगत अनुभाग के तहत ₹ 171.74 करोड़ तथा राजस्व अनुभाग के तहत ₹ 973.64 करोड़) की बचत में से, ₹ 913.85 करोड़ (पूँजीगत अनुभाग के तहत ₹ 117.94 करोड़ तथा राजस्व अनुभाग के तहत ₹ 795.91 करोड़) को अभ्यर्पित कर दिया गया, जबकि ₹ 231.53 करोड़ (पूँजीगत अनुभाग के तहत ₹ 53.80 करोड़ तथा राजस्व अनुभाग के तहत ₹ 177.73 करोड़) की बचत को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत होने दिया गया। समय पर प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं होना बजट नियमावली के नियम 112 के विरुद्ध है।

2.7.16 ₹ 4.21 करोड़ का आधिक्य बजट प्रावधान

बजट नियमावली के नियम 57 के नीचे टिप्पणियों के अनुसार, अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय की जा सकने वाली राशि से अधिक राशि का कोई प्रावधान न हो। आगे, बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, सभी प्रत्याशित बचतों को वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही उनका पूर्वानुमान हो, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। भविष्य के संभावित आधिक्य के लिए कोई बचत रक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। इसके अलावा, ब. नि. के नियम 135 के अनुसार, जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वयं प्रकट होती है, तो नियंत्री अधिकारी को सावधानीपूर्वक उस राशि का अनुमान लगाना चाहिए जिसे वह अभ्यर्पित कर सकता है।

अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) में लोहरदगा, खूँटी और सरायकेला-खरसावां में जि. क. पदा. कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि जनजातीय कल्याण आयुक्त कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के लिए कक्षा आठ में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को साइकिल वितरण के लिए राशि (नवंबर 2023 में) प्रदान किया गया था। इस उद्देश्य के लिए राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित की जानी थी।

यह देखा गया कि जनजातीय कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा तीन नमूना-जाँच जि. क. पदा. के अनुरोध पर ₹ 25.25 करोड़ के विरूद्ध ₹ 29.47 करोड़ आवंटित किए गए थे। आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ₹ 4.21 करोड़ का आधिक्य अक्टूबर 2025 तक बैंक खातों में निष्क्रिय पड़ा थी, जैसा कि **तालिका 2.43** में विस्तृत है।

तालिका 2.43: डीडीओ द्वारा प्राप्त आधिक्य आवंटन का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय	वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की कुल संख्या	राशि प्रति लाभार्थी (₹)	आवश्यक राशि	प्राप्त आवंटन	आधिक्य आवंटित राशि
1	जि. क. पदा., खूँटी	2020-21	3,190	4,500	143.55	167.09	23.54
2	जि. क. पदा., सरायकेला-खरसावां	2020-21	13,228	4,500	595.26	651.74	56.48
		2021-22	13,836	4,500	622.62	701.24	78.62
		2022-23	12,793	4,500	575.69	651.55	75.86
3	जि. क. पदा., लोहरदगा	2020-21	3,037	4,500	136.67	222.12	85.45
		2021-22	4,499	4,500	202.46	288.72	86.26
		2022-23	5,534	4,500	249.03	264.20	15.17
कुल			**56,117**	**4,500**	**2,525.28**	**2,946.66**	**421.38**

स्रोत: नमूना-जाँच इकाइयों के अभिलेख

₹ 4.21 करोड़ के आधिक्य आवंटन से संकेत मिलता है कि जनजातीय कल्याण आयोग द्वारा यथोचित जाँच के बिना राशि प्रदान किया गया था जिससे सरकारी राशि अवरुद्ध हो गया। सितंबर 2025 तक डीडीओ द्वारा आधिक्य राशि वापस नहीं किया गया था।

2.7.17 सहायता-अनुदान में पर्याप्त बचत

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) से संबंधित अनुदान संख्या 51 का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों**,** अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सहायता-अनुदान (बजट का 16.43 प्रतिशत) प्रदान करना है। हालाँकि, यह देखा गया कि अनुदान के तहत वेतन, गैर-वेतन और पूँजीगत निर्माण के लिए प्रदान की गई सहायता-अनुदान में बड़ी बचत हुई, जैसा कि **तालिका 2.44** में विस्तृत है।

तालिका 2.44: अनुदान 51 के तहत सहायता-अनुदान में बचत

(₹ करोड़ में)

गतिविधि (सहायता-अनुदान)	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत)
वेतन	0.04	0.00	0.04	100
पूँजीगत निर्माण	0.50	0.00	0.50	100
गैर-वेतन	610.98	429.44	181.54	29.71
कुल	**611.52**	**429.44**	**182.08**	**29.77**

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड का वीएलसी आँकड़ा

आगे की जाँच से पता चला कि छह योजनाओं में 100 प्रतिशत बचत हुई, जैसा कि **तालिका 2.45** में विस्तृत है।

तालिका 2.45: अनुदान 51 (योजनावार) के तहत सहायता-अनुदान में पर्याप्त बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	योजना	कुल प्रावधान.	बचत	बचत (प्रतिशत)
1	2225-02-796-01-06-79	विशेष केंद्रीय सहायता के लिए अनुदान (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता)	100.00	100.00	100
2	2225-01-789-AO-06-79	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना	30.00	30.00	100
3	2225-02-277-01-06-79	विशेष केंद्र सहायता के लिए अनुदान (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता)	10.00	10.00	100
4	2225-02-796-A7-06-79	संरक्षण सह विकास (सीसीडी)-पीवीटीजी	10.00	10.00	100
5	2225-02-796-AD-06-79	मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना	10.00	10.00	100
6	2225-02-277-AD-06-79	मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना	8.00	8.00	100
कुल			**168.00**	**168.00**	**100**

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड का वीएलसी आँकड़ा

2.7.18 असमायोजित अग्रिम तथा अभिश्रव

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा. को. सं.) 2016 के नियम 174 में प्रावधान है कि यदि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के आदेश से अग्रिम राशि निकाली जाती है, तो निकाली गई राशि का शेष यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले, जिसमें राशि निकाली गई है, अगले विपत्र में अल्प निकासी के माध्यम से या चालान के माध्यम से कोषागार को वापस कर दिया जाएगा। आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर निकाली गई राशि उसी वित्तीय वर्ष के भीतर व्यय की जाएगी और शेष राशि उस वर्ष के 31 मार्च से पहले कोषागार में जमा कर दी जाएगी।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि सरायकेला-खरसावां, चाईबासा और आईटीडीए, राँची के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अग्रिम के रूप में वितरित ₹ 11.92 करोड़ अक्टूबर 2025 तक समायोजन के लिए लंबित थे। इसी प्रकार, 2024-25 के दौरान इन इकाइयों द्वारा व्यय किए गए ₹ 110.78 लाख का असमायोजित अभिश्रव, बिना उपलब्ध राशि के, अक्टूबर 2025 तक समायोजन के लिए लंबित थे।

अग्रिम एवं असमायोजित अभिश्रव का विवरण **तालिका 2.46** में दिया गया है।

तालिका 2.46: असमायोजित अग्रिम एवं अभिश्रव का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	डीडीओ का नाम	शेष की तिथि	राशि
असमायोजित अग्रिम			
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां	21.03.2025	1,129.82
2	जिला कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा	31.03.2025	25.61
3	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	30.08.2025	26.85
4	एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण राँची		9.44
कुल			**1,191.72**

क्र. सं.	डीडीओ का नाम	शेष की तिथि	राशि
असमायोजित अभिश्रव			
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां	20.02.25	19.77
2	जिला कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा	31.03.25	38.64
3	एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण, चाईबासा	31.03.25	8.83
4	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	30.08.25	40.27
5	एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण, राँची		3.27
कुल			**110.78**

2.8 आकस्मिकता निधि

झारखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 के तहत अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए झारखण्ड राज्य की आकस्मिकता निधि में राशि के भुगतान और धन की निकासी से संबंधित सभी मामलों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था। जब राज्य विधानसभा अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करता है तो निधि की वसूली की जाती है। निधि का कोष ₹ 500 करोड़ है।

2024-25 के दौरान, विभिन्न बजटीय शीर्षों के तहत आकस्मिकता निधि से ₹ 635.96 करोड़ निकाले गए थे, जिसे वित्तीय वर्ष के अंत तक वापस ले लिया गया था।

2.8.1 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित एवं आकस्मिक प्रवृति के व्यय को पूरा करने के लिए हीं दी जानी है, जिसे विधानसभा द्वारा अधिकृत किए जाने तक स्थगित करना अनुचित होगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 133 योजनाओं के संबंध में पुलिस, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता तथा मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे अनुदानों के तहत मुख्य रूप से अग्रिम के रूप में आकस्मिकता निधि से ₹ 635.96 करोड़ की राशि निकाली गई थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक राशि वसूल कर ली गई थी। मुख्य शीर्ष-वार किए गए व्यय का विवरण **तालिका 2.47** में दिया गया है।

तालिका 2.47: आकस्मिकता निधि से मुख्य शीर्षवार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	राशि
1	2014 न्याय प्रशासन	1.02
2	2051 लोक सेवा आयोग	17.01
3	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं	23.94
4	2053 जिला प्रशासन	2.35
5	2055 पुलिस	104.63
6	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	31.58
7	2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	20.30
8	2220 सूचना एवं प्रचार	69.73
9	2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास	0.16
10	2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	318.20
11	2250 अन्य सामाजिक सेवाएं	0.04

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	राशि
12	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	0.33
13	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	28.81
14	4215 जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	17.86
कुल		**635.96**

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) का कार्यालय

आगे की जाँच से पता चला कि आकस्मिकता निधि से ₹ 214.74 करोड़ का व्यय उन उद्देश्यों के लिए किया गया था जो अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति के नहीं थे, जैसे यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, मोटर वाहनों का क्रय, ईंधन और वाहनों का रख रखाव आदि।

2.9 निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य के कुल बजट ₹ 1,50,938.84 करोड़ में से, ₹ 31,110 करोड़ (कुल बजट का 20.61 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त रही। इसके अलावा, ₹ 31,110 करोड़ की कुल बचत में से, ₹ 19,648.71 करोड़ का बचत 10 अनुदानों में हुई, जो बजट प्रावधानों के सात से 62 प्रतिशत के बीच है, जिसके कारणों को विनियोग खातों में उचित रूप से नहीं बताया गया है।

अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में, ₹ 7,731.83 करोड़ के कुल बजट प्रावधानों में से ₹ 2,494.36 करोड़ (32 प्रतिशत) की बचत हुई। इसी प्रकार, अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) में ₹ 3,721.65 करोड़ के कुल बजट में से ₹ 1,145.38 करोड़ (30.78 प्रतिशत) की बचत हुई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, व्यय मूल प्रावधानों तक भी नहीं पहुंचा। इसके बावजूद, ₹ 5,407 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए।

2024-25 के दौरान विनियोग संख्या 15-पेंशन के तहत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹ 306.62 करोड़ का आधिक्य वितरण हुआ। इसके अलावा, विगत वर्षों के ₹ 4,046.43 करोड़ के आधिक्य व्यय को मार्च 2025 तक विनियमित नहीं किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में 44 उप-शीर्षों के तहत प्रदान किए गए ₹ 334.76 करोड़ को वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजन किया गया था। इसी प्रकार, अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) के तहत, 57 उप-शीर्षों में ₹ 343.33 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था, जिसका उपयोग नहीं किया गया तथा संपूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने पूँजीगत व्यय के तहत ₹ 2,879.71 करोड़ को राजस्व प्रकृति के सहायता-अनुदान के रूप में दर्ज की थी। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष में इतनी अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

एकल नोडल खाता (एसएनए) के माध्यम से राज्य में चल रही 122 केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से 30 सितंबर 2025 तक केवल 28 एसएनए को एसएनए-स्पर्श में बदला गया था।

2.10 अनुशंसाएँ

- *राज्य सरकार को बजटीय अनुमानों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए, साथ हीं आवंटित निधि के अनुपयोग को कम करने के लिए एक कुशल नियंत्रण तंत्र स्थापित करना चाहिए।*
- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपेक्षित बचत की पहचान की जाए और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उसे अभ्यर्पित किया जाए।*
- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय विधानसभा द्वारा अधिकृत राशि से अधिक न हो। विगत वर्षों के आधिक्य व्यय को विनियमित करने के लिए कदम उठाना चाहिए।*